रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/95

REGISTERED NO. DL-33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 4, 1995/फाल्गुन 13, 1916
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 4, 1995/PHALGUNA 13, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक अनुभाग)

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1995

सा० का० नि० 89.—केन्द्रीय सरकार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 ग के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री के० एच० सामंत, अधिवक्ता को, सामान्य निबंधनों और शर्तों पर वृहत मुम्बई में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन गठित विशेष न्यायालय के समक्ष मैसर्स मोहम्मद फहीम और अन्य के सामने, अभियोजन मामले के संचालन के लिए, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

2. नियुक्ति, दोनों में से किसी भी ओर से एक मास की लिखित सूचना देने पर समाप्त की जा सकेगी।

[फा० सं० 27(3)/93—न्या.]

पी० सी० कण्णन, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

New Delhi, the 6th February, 1995

G.S.R. 89.—In exercise of the powers conferred by Sub-section 8 of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with Section 36C of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the Central Government hereby appoint Shri K. H. Samant, Advocate, as Special Public Prosecutor for conducting Prosecution Case against M/s. Mohmed Fahim and others before the Special Courts constituted under the NDPS Act, 1985 in the Greater Bombay on the usual terms and conditions.

2. The appointment would be terminable on one month's notice in writing on either side.

[F. No. 27(3)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Jt. Secy. and Legal Adviser

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1995

सा० का० नि. 90 :—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित, अखिल-भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, "केरल सरकार" के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 1995 है।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "केरल" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"केरल"

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	66
पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक	1
कमांडेंट जनरल होम गार्ड, सिविल डिफेंस और अग्नि सेवा	1
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)	1
पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता)	1
पुलिस महानिरीक्षक (अपराध)	1
पुलिस महानिरीक्षक (नवीकरण)	1
पुलिस महानिरीक्षक (आसूचना)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (रेंजें)	4
पुलिस उप महानिरीक्षक (अपराध अन्वेषण)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (सतर्कता)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (ए० पी० बटालियन)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (आसूचना)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (कंप्यूटर केन्द्र)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (नागरिक अधिकारों का संरक्षण)	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक	1
अपर सहायक महानिरीक्षक	1
पुलिस आयुक्त तिरुवेन्द्रम नगर	1
पुलिस आयुक्त, एर्नाकुलम नगर	1
पुलिस आयुक्त, कालीकट नगर	1
कमांडेंट सशस्त्र, पुलिस, बटालियन	7
पुलिस उपायुक्त, तिरुवेन्द्रम नगर	1
पुलिस अधीक्षक, सिविल आपूर्ति एकक	1
पुलिस अधीक्षक, कंप्यूटर केन्द्र	1
पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, अपराध अन्वेषण विभाग	4
पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, सी. आई. डी.	3
पुलिस अधीक्षक (रेलवे)	1
पुलिस अधीक्षक (जिला)	14
पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)	4
पुलिस अधीक्षक (अपराध अनुसंधान एकक)	1
पुलिस अधीक्षक (आर्थिक अपराध)	1
प्रिंसिपल पुलिस प्रशिक्षण कालेज	1
संयुक्त पुलिस अधीक्षक (उप मण्डलीय)	3
	66
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त के 40% की दर से	26
3. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अनुसार उपर्युक्त 1 तथा 2 के 33⅓ प्रतिशत की दर से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद	30
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त 1 और 2 में से 3 घटाकर)	62
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त 1 से 25 प्रतिशत की दर से	16
6. छुट्टी रिजर्व, कनिष्ठ पद, प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त 1 के 30 प्रतिशत की दर से	20
सीधी भर्ती वाले पद	98
पदोन्नति वाले पद	30
कुल प्राधिकृत पद संख्या	128

[सं. 11052/13/94-अ.भा.से. (II)-क]

मधुमिता डी. मित्रा, डैस्क अधिकारी

टिप्पणी :—(1) इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के केरल संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 126 थी।

(2) मुख्य विनियम दिनांक 22-10-55 एस.आर.ओ. संख्या 3351 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और इन्हें दिनांक 27-10-75, 12-6-76, 30-7-80, 14-11-81, 20-4-83, 30-6-84, 26-3-88 और 13-7-91 की सा.का.नि. संख्याओं 540 ई, 812, 455ई, 1008, 646, 187 और 403 द्वारा बाद में संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 15th February, 1995

G.S.R. 90.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of 'Kerala' hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of cadre strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre strength) Amendment Regulations, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Kerala" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely :—

"KERALA"

1.	Senior posts under the State Government	66
	Director General and Inspector General of Police	1
	Commandant General, Home Guards, Civil Defence and Fire Services	1
	Inspector General of Police (Headquarters)	1
	Inspector General of Police (Crime)	1
	Inspector General of Police (Vigilance)	1
	Inspector General of Police (Intelligence)	1
	Inspector General of Police (Modernisation)	1
	Deputy Inspectors General of Police (Ranges)	4
	Deputy Inspector General of Police (Crime Investigation)	1
	Deputy Inspectors General of Police (Vigilance)	1
	Deputy Inspector General of Police (Training)	1
	Deputy Inspector General of Police (A.P. Battalions)	1
	Deputy Inspector General of Police (Intelligence)	1
	Deputy Inspector General of Police (Administration)	1
	Deputy Inspector General of Police (Computer Centre)	1
	Deputy Inspector General of Police (Protection of Civil rights)	1
	Assistant Inspector General of Police	1
	Additional Assistant Inspector General of Police	1
	Commissioner of Police, Trivandrum City	1
	Commissioner of Police, Ernakulam City	1
	Commissioner of Police, Calicut City	1
	Commandants Armed Police, Battalions.	7
	Dy. Commissioner of Police (Trivandrum City)	1
	Superintendent of Police, Civil Supplies Cell.	1
	Superintendent of Police Computer Centre	1
	Superintendent of Police, Special Branch CID	4
	Superintendent of Police, Crime Branch, CID	1
	Superintendent of Police, (Railways)	1
	Superintendents of Police, (Districts)	14
	Superintendent of Police, (Vigilance)	4
	Superintendent of Police, (Crime Research Cell)	3
	Superintendent of Police, (Economic Offences)	1
	Principal, Police Training College	1
	Joint Superintendents of Police (Sub-Divisions)	3
		66
2.	Central Deputation Reserve at 40% of 1 above	26
3.	Posts to be filled by promotion under rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 @ 33⅓% of 1 and 2 above	30
4.	Posts to be filled by direct recruitment (1 and 2 minus 3 above).	62
5.	Deputation Reserve at 25% of 1 above	16
6.	Leave Reserve, Junior Posts and Training Reserve @ 30% of 1 above	20
	Direct Recruitment Posts	98
	Promotion Posts	30
	Total Authorised strength	128

[No. 11052/13/94-AIS(II)-A]
MADHUMITA D. MITRA, Desk Officer

Note : (1) Prior to issue of this notification the total authorised strength of Kerala IPS Cadre was 126.

(2) The Principal Regulations were pulished in the Gazette vide S.R.P. No. 3351 dated 22-10-55 and subsequently amended vide GSR Nos. 540-E, 812, 455-E, 1008, 344-E, 646, 187 and 403 dated 27-10-75, 12-6-76, 30-7-80, 14-11-81, 20-4-83, 30-6-84, 26-3-88 and 13-7-91 respectively.

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 91 —भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केरल सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम 1995 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली 1954 में :—

(क) अनुसूची 111-क में, सारणी में प्रथम कॉलम में दी गई प्रविष्टि "केरल" तथा दूसरे और तीसरे कॉलम में दी गई तत्समुखी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :—

राज्य	पद के ब्यौरे	वेतन/वेतनमान
1	2	3
"केरल"	महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक कमांडेंट जनरल, होम गार्ड, सिविल रक्षा और अग्नि सेवा	रु. 7600-8000 रु. 5900-200-6700
	पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता)	-यथोपरि-
	पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)	-यथोपरि-
	पुलिस महानिरीक्षक (नवीकरण)	-यथोपरि-
	पुलिस महानिरीक्षक (अपराध)	-यथोपरि-
	पुलिस महानिरीक्षक (आसूचना)	-यथोपरि-
	पुलिस उप महानिरीक्षक (रेंजें)	रु. 5100-150-5400 (18 वें वर्ष अथवा उसके बाद)-150-6150

1	2	3
"केरल"	पुलिस उप महानिरीक्षक (अपराध अन्वेषण)	रु 5100-150-5400 (18वें वर्ष अथवा उसके बाद)-150-6150
	पुलिस उप महानिरीक्षक (सतर्कता)	-यथोपरि-
	पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)	-यथोपरि-
	पुलिस उपमहानिरीक्षक (ए पी. बटालियंस)	-यथोपरि-
	पुलिस उप महानिरीक्षक (आसूचना)	-यथोपरि-
	पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशा.)	-यथोपरि-
	पुलिस उप महानिरीक्षक (कम्प्यूटर सैन्टर)	-यथोपरि-
	पुलिस उप महानिरीक्षक (नागरिक अधिकारों का संरक्षण)	-यथोपरि-

(ख) अनुसूची--III में "क" राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान के वेतन वाले पद, जिसके अंतर्गत समय वेतनमान के अतिरिक्त विशेष वेतनमान वाले पद भी शामिल हैं शीर्षक के अंतर्गत सारणी के प्रथम स्तंभ में प्रविष्टि "केरल" तथा द्वितीय स्तंभ की तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :--

पुलिस सहायक महानिरीक्षक	
पुलिस अपर सहायक महानिरीक्षक	
पुलिस आयुक्त, तिरुवेन्द्रम शहर	
पुलिस आयुक्त, कालीकट शहर	
कमांडेंट सशस्त्र पुलिस, बटालियन्स	
पुलिस उपायुक्त, तिरुवेन्द्रम शहर	
पुलिस अधीक्षक, नागरिक आपूर्ति सैल	
पुलिस अधीक्षक, कंप्यूटर सैन्टर	
पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा सी.आई.डी.	
पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा सी.आई.डी.	
पुलिस अधीक्षक (रेलवे)	
पुलिस अधीक्षक (जिला)	
पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)	
पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान (सैल)	
पुलिस अधीक्षक (आर्थिक अपराध)	
प्रिंसीपल पुलिस प्रशिक्षण कालेज	
संयुक्त अधीक्षक, पुलिस (उप मंडल)	
पुलिस आयुक्त, एर्नाकुलम शहर	

[सं. 11052/13/94-अ.भा.से. (II)-ख]
मधुमिता डी. मित्रा, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी :—मुख्य नियम राजपत्र संख्या 158 दिनांक 11 सितम्बर, 1954 के द्वारा प्रकाशित हुए थे। उसके बाद केरल के बारे में अनुसूची--III की प्रविष्टियां क्रमश: सा.का.नि. संख्या 541(अ), 813, 45(अ), 345(अ), 647, 188 और 404 दिनांक 27-10-78 12-6-76 30-7-80 20-4-83 26-3-88 और 13-7-91 द्वारा संशोधित की गई थीं।

New Delhi, the 15th February, 1995

G.S.R. 91.—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Kerala hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Amendment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954,

(a) In Schedule III-A, in the Table, for the entry "Kerala" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely :—

State	Particulars of the post	Pay/Scale of Pay
"Kerala"	Director General and Inspector General of Police	Rs. 7600-8000
	Commandant General, Home Guards, Civil Defence and Fire Services	Rs. 5900-200-6700
	Inspector General of Police (Headquarters)	-do-
	Inspector General of Police (Vigilance)	-do-
	Inspector General of Police (Crime)	-do-
	Inspector General of Police (Modernisation)	-do-
	Inspector General of Police (Intelligence)	-do-
	Deputy Inspector General of Police (Ranges)	Rs. 5100-150-5400-(18th year or later) 150-6150
	Deputy Inspector General of Police (Crime Investigation)	-do-
	Deputy Inspector General of Police (Vigilance)	-do-
	Deputy Inspector General of Police (A.P. Battalions)	-do-
	Deputy Inspector General of Police (Intelligence)	-do-
	Deputy Inspector General of Police (Administration)	-do-
	Deputy Inspector General of Police (Computer Centre)	Rs. 5100-150-5400-(18th year or later)-150-6150
	Deputy Inspector General of Police (Protection of Civil Rights)	-do-

(b) In Schedule III, in the Table under the heading 'B' posts carrying pay in the Senior Time Scale of the Indian Police Service under the State Government including posts carrying Special Pay in addition to pay in the Time scale for the entry "Kerala" occurring in the First Column, and the corresponding entries

in the second column, the following entries shall be substituted, namely :—

Assistant Inspector General of Police
Additional Assistant Inspector General of Police
Commissioner of Police, Trivandrum City.
Commissioner of Police, Ernakulam City.
Commissioner of Police, Calicut City.
Commandants Armed Police, Battalions
Dy. Commissioner of Police, Trivandrum City
Superintendent of Police, Civil Supplies Cell
Superintendent of Police, Computer Centre
Superintendent of Police, Special Branch CID
Superintendent of Police, Crime Branch, CID
Superint ndent of Police, (Railways)
Superintendent of Police, (Districts)
Superintendent of Police, (Vigilance)
Superintendent of Police, (Crime Research Cell)
Superintendent of Police, (Economic Offences)
Principal, Police Training College
Joint Superintendent of Police (Sub-Divisions)

[No. 11052/13/94-AIS(II)-B]

MADHUMITA D. MITRA
Desk Officer

Note : The Principal rules were published vide Gazette No. 158 dated the 14th September, 1954, and the entries in Schedule III in respect of Kerala were subsequently amended vide GSR Nos. 541 E, 813, 456-E, 345 E, 647, 183 and 404 dated 27-10-1995, 12-6-76, 30-7-80, 20-4-83, 30-6-1984, 26-3-88 and 13-7-91 centre respectively.

वाणिज्य मंत्रालय

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1995

सा०का०नि० 92.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति एतद्द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारी के पदों की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमों का निर्माण करते हैं नामश :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ : (1) इन नियमों को वाणिज्य मंत्रालय (विदेश व्यापार महानिदेशालय) अनुसंधान अधिकारी भर्ती नियम, 1995 कहा जाएगा।

(2) यह नियम भारत के राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू माने जाएंगे।

2. विनियोग : ये नियम इसके साथ अनुबंध अनुसूची के कालम (1) में विशिष्टिकृत पदों की भर्ती पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनसे अनुबद्ध वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम (2) से (4) में विशिष्टिकृत अनुसार होंगे।

4. भर्ती की प्रक्रिया, आयु सीमा और योग्यता आदि : भर्ती की प्रक्रिया, आयु-सीमा, योग्यता और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम (5) से (14) में विशिष्टिकृत अनुसार होंगे।

5. अयोग्यता : कोई भी व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि :

(क) उसने ऐसे व्यक्ति से शादी की हो जिसकी जीवित पत्नी हो या।

(ख) जीवित पत्नी होते हुए किसी अन्य स्त्री से शादी की हो बशर्ते कि केन्द्र सरकार यदि संतुष्ट हो कि ऐसी शादी उक्त व्यक्ति और शादी की अन्य पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के तहत अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के पालन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने का अधिकार : केन्द्र सरकार जहां यह समझती है कि यह आवश्यक या जरूरी है तो वह आदेश द्वारा, लिखित में कारण देते हुए, और केन्द्रीय लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

7. शर्त : यह नियम इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करेंगे।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं०	वर्गीकरण	वेतनमान	चयनित अथवा गैरचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
अनुसंधान अधिकारी	82* *(1994) कार्य-भार के आधार पर इसमें परिवर्तन हो सकता है।	सामान्य सिविल सेवा समूह "क" राजपत्रित गैर अनुसचिवीय	2000-60-2300-दक्षता रोध-75-3200-100-3500	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

क्या अतिरिक्त वर्षों का सेवा का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताएं प्रोन्नति वाले मामलों पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है तो
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं।

भर्ती की पद्धति—क्या सीधी भर्ती है या प्रोन्नति से है या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण है और विभिन्न पद्धतियों से खाली पदों को भरे जाने की प्रतिशतता	यदि भर्ती प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से होनी है तो किस ग्रेड से प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन किस प्रकार से है	किन परिस्थितियों में भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए
11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :— केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी :— क (1) नियमित आधार पर समान पद हों; अथवा (2) 1640-2900 रु० के वेतनमान में नियुक्ति में 3 साल की नियमित सेवा सहित या इसके बराबर अथवा (3) 1400-2300/2600 रु० के वेतनमान में नियुक्ति में 8 साल की नियमित सेवा सहित या इसके बराबर; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव प्राप्त हों; (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित या व्यापार अनुसंधान या एक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित वाणिज्य हो या उसके समकक्ष हो। (2) आयात एवं निर्यात से संबंधित आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण में 2 वर्षों का अनुभव हो। इस नियुक्ति से एकदम पहले केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में बाह्य काडर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के तहत नियुक्ति पर प्रार्थना पत्र लेने की अंतिम तारीख पर अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं।

[सं० 1/5/86-कार्मिक-I]

एस०एल० गुप्ता, उप-महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

(Directorate General of Foreign Trade)

New Delhi, the 2nd February, 1995

G.S.R. 92.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Officer in the Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce, namely :—

1. Short title and commencement:—(i) These rules may be called the Ministry of Commerce (Directorate General of Foreign Trade) Research Officer Recruitment Rules, 1995.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Application : These rules shall apply to the recruitment of the posts specified in Column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, Classification and scale of pay : The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Column (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc : The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in Columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification : No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax : Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any Class or category of persons.

7. Saving : Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other specific categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-Selection post.	Age-limit for Direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Officer	02 * *(1994) *Subject to variation dependent on work-load.	General Civil Service Group-B Gazetted, Non-Ministerial.	2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.	Not applicable	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by Direct recruitment or by promotion or by deputation/ Transfer and Percentage of the vacancy to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/Transfer, Grades from which promotion/Deputation/Transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)	(14)
Transfer on Deputation.	Transfer on Deputation : Officers under the Central Government :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs, 1640-2900 or equivalent; or (iii) with 8 years' regular service in posts in scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; (b) possessing the following educational qualifications and experience : Essential : (i) Degree with Economics or Statistics or Mathematics or Operations Research or Commerce with statistics as a subject from a recognised University or equivalent. (ii) 2 years' experience in compilation and analysis of data relating to imports and exports. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ departments of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. 1/5/86—Pers-I]
S.L. GUPTA, Dy. Director General.

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
केन्द्रीय बायलर बोर्ड

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1995

सा. का. नि. 93 .—भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 31 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए तारीख 30 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में पृष्ठ 694 से 710 पर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) (केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड) की तारीख 13 अप्रैल, 1994 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 210 में कतिपय प्रारूप विनियम प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी 10 जुलाई, 1994 तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे :

और उक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को 27 मई, 1994 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और किसी व्यक्ति से, जिसके प्रभावित होने की संभावना थी, कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः अब भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय बॉयलर (संशोधन) विनियम, 1995 है ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. इन्डियन बॉयलर रैगुलेशन, 1950 (जिन्हें तत्पश्चात् उक्त रैगुलेशन कहा जाएगा) में रैगुलेशन 215 में,—

(क) उप रैगुलेशन (डी) के स्थान पर, निम्नलिखित उप रैगुलेशन प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

(डी) (i) जब वजन के कारण वैनडिंग स्ट्रैस नगण्य हों और जब ट्यूबों के सुराख लांगीच्यूडीनल अक्ष से कर्णीय रेखा पर बनाए गए हों, संगत लिगामैंट की दक्षता (जैड) आकृति संख्या 14 के अनुसार होगी जिसमें अनुपात $\frac{\text{बी}}{\text{ए}}$ —एबसीसा पर व अनुपात $\frac{2\text{ए}-\text{डी}}{2\text{ए}}$ या $\frac{\text{डी}}{\text{ए}}$ पैरामीटर होगा,

जहां,

ए व बी आकृति 13ए और 13बी के अनुसार मापे जाते हों

डी = ट्यूब सुराखों का व्यास

टिप्पणियां:—

1. माप बी को चपटी प्लेट पर रोलिंग से पहले या मीडियन लाईन पर रोलिंग के बाद मापा जाना चाहिए ।

2. आकृति संख्या 14 में दिया गया आंकड़ा निम्नलिखित सूत्र पर आधारित होगा:—

$$\text{जैड} = \frac{\text{"ए"} + \text{"बी"} + \sqrt{(\text{"ए"} - \text{"बी"})^2 + 4\text{"सी"}^2}}{2}$$

जहां,

$$\text{"ए"} = \frac{\text{कॉस}^2\alpha + 1}{2\left\{1 - \frac{\text{डी कॉस}\ \alpha}{\text{ए}}\right\}}$$

$$\text{"बी"} = \frac{1}{2}\left\{1 - \frac{\text{डी कॉस}}{\text{ए}}\right\}(\text{साइन}^2\alpha + 1)$$

$$\text{"सी"} = \frac{\text{साइन}\alpha\ \text{कॉस}\alpha}{\left\{1 - \frac{(\text{डी कॉस}\ \alpha}{\text{ए}}\right\}}$$

$$\text{कॉस}\ \alpha = \frac{}{\sqrt{1 + \frac{\text{बी}^2}{\text{ए}^2}}}$$

$$\text{साइन}\alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\text{ए}^2}{\text{बी}^2}}}$$

(α = मिलिंडर की सैन्टरलाईन से कर्णीय सुराखों की सैन्टर लाईन का कोण)

(ii) आकृति संख्या 23 सी में दिखाए गए व्यवस्थित आरा दांते के अनुसार सुराख छेदने पर भी वही नियम लागू होगा जो कि पैरा (i) में होता है।

(iii) व्यवस्थित अलग-अलग अंतर वाले ट्यूब के सुराखों के विषय में (आकृति 13ए देखें), सभी लिगामैंट, लांगीच्यूडिनल, सरकमफैन्शीयल व डायागोनल की दक्षता जैड का न्यूनतम मान आकृति 15 में अनुमात

$\frac{\text{पी}_{\text{सी}}}{\text{पी}_{\text{एल}}}$ एबसीसा पर व अनुपात $\frac{\text{पी}_{\text{एल}} - \text{डी}}{\text{पी}_{\text{एल}}}$ या $\frac{\text{डी}}{\text{ए}}$

पैरामीटर के रूप में के द्वारा दिखाया गया है

जहां,

डी = ट्यूब सुराखों का व्यास

$\text{पी}_{\text{सी}} = 2\text{बी}$ = सुराखों की सरकमफैन्शीयल कतारों के बीच की दूरी दुगना।

$\text{पी}_{\text{एल}} = 2\text{ए}$—ऐग्जीयल कतारों के बीच की दूरी का दुगना।

टिप्पण:— माप $\text{पी}_{\text{सी}}$ चपटी प्लेट पर रोलिंग से पहले या मीडीयन लाइन पर रोलिंग के बाद मापा जाएगा। आकृति 15 का डाटा उसी सूत्र पर आधारित होगा जो आकृति 13ए में दिखाया गया है ।

(ई) जब ड्रम के बगल में लांगीच्यूडीनल दूरी वाले सुराख सरल रेखा में नहीं हों, ऊपर दिए गए नियमों के उपयोग में प्रत्येक अन्तराल के लिए सममूल्य लांगीच्यूडीनल पिच का उपयोग किया जाए सम-मूल्य पिच वास्तविक लांगीच्यूडीनल पिच को आकृति संख्या 14 के प्रत्येक अन्तराल के लिए प्राप्त समतुल्य दक्षता से गुणा करके निकाली जाती है ।

(ख) आकृति संख्या 13, 14 और 15 के स्थान पर, निम्नलिखित आकृतियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात्:—

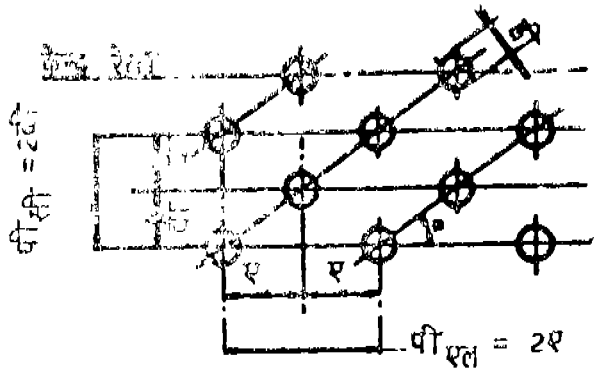

आकृति 13ए - सुराखों का व्यवस्थित बिखराव

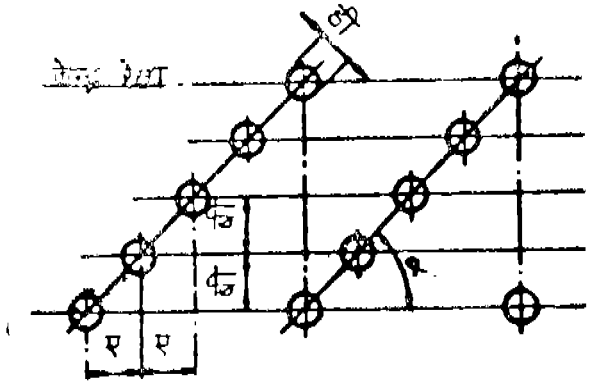

आकृति 13बी - वर्म रेखा पर सुराखों का अंतरण

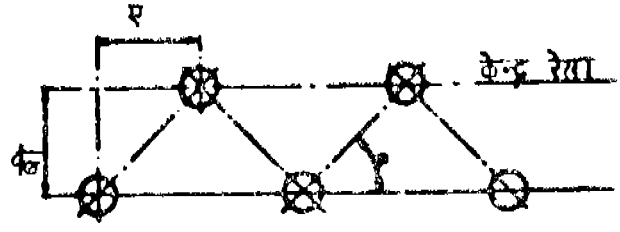

आकृति 13 सी -सुराखों की व्यवस्था
आरा-दाँत अभिरचना

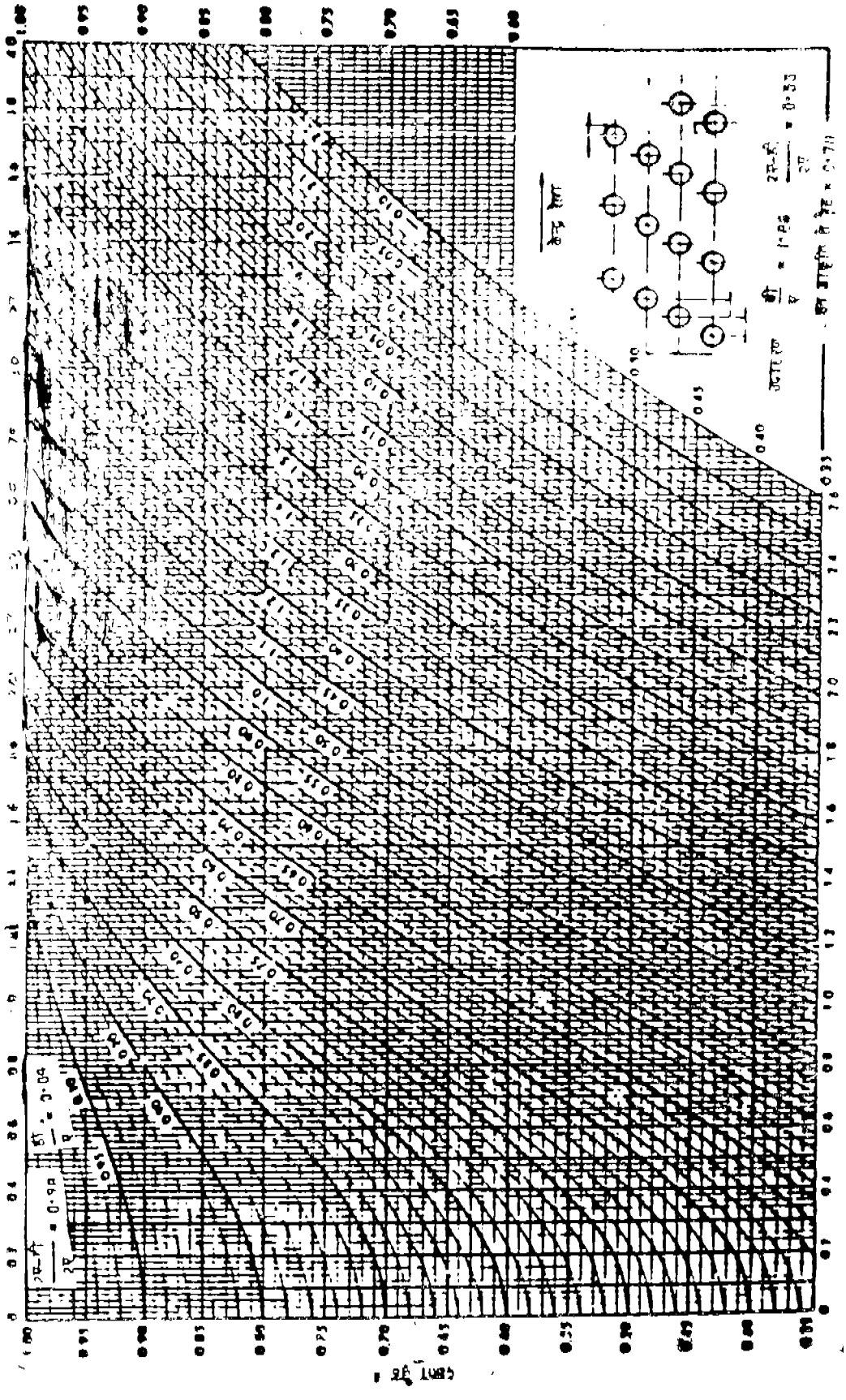

आकृति 14 - क्षै रेखा पर लिमिट की रचना

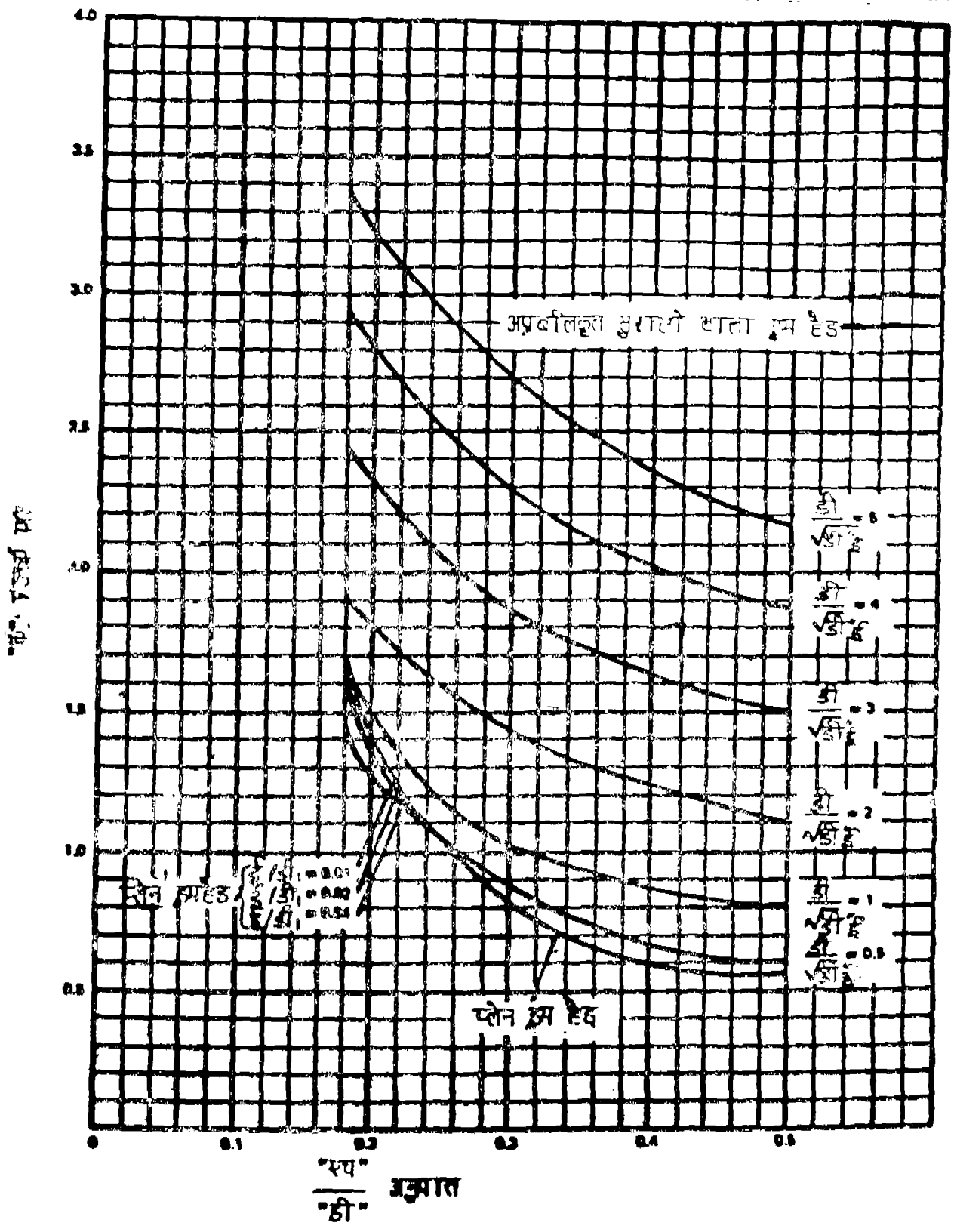

आकृति 23डी – डिश हैड के लिये शेप फैक्टर के का ग्राफ

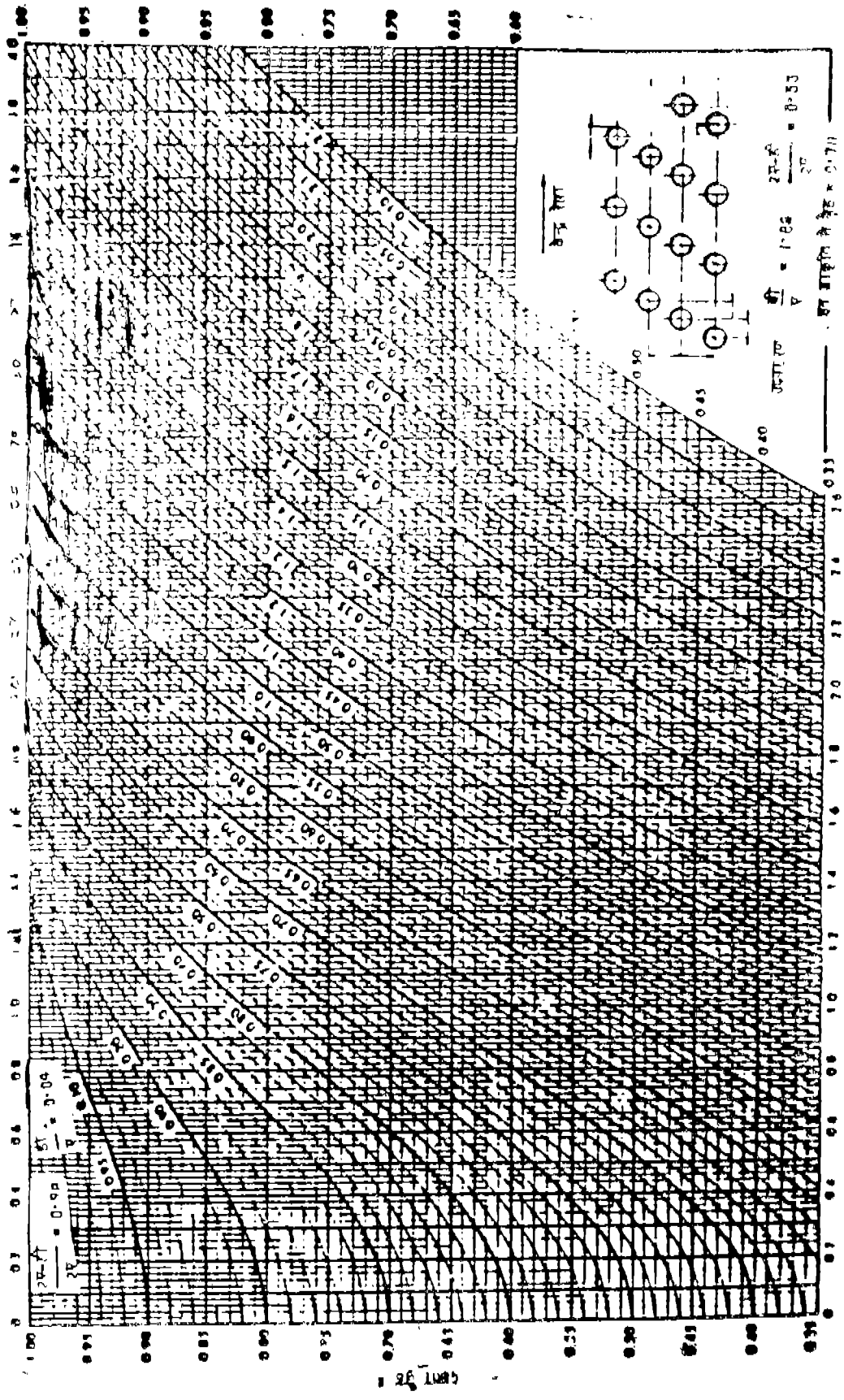

आकृति 14 — फ्लैट प्लेट फिन की दक्षता

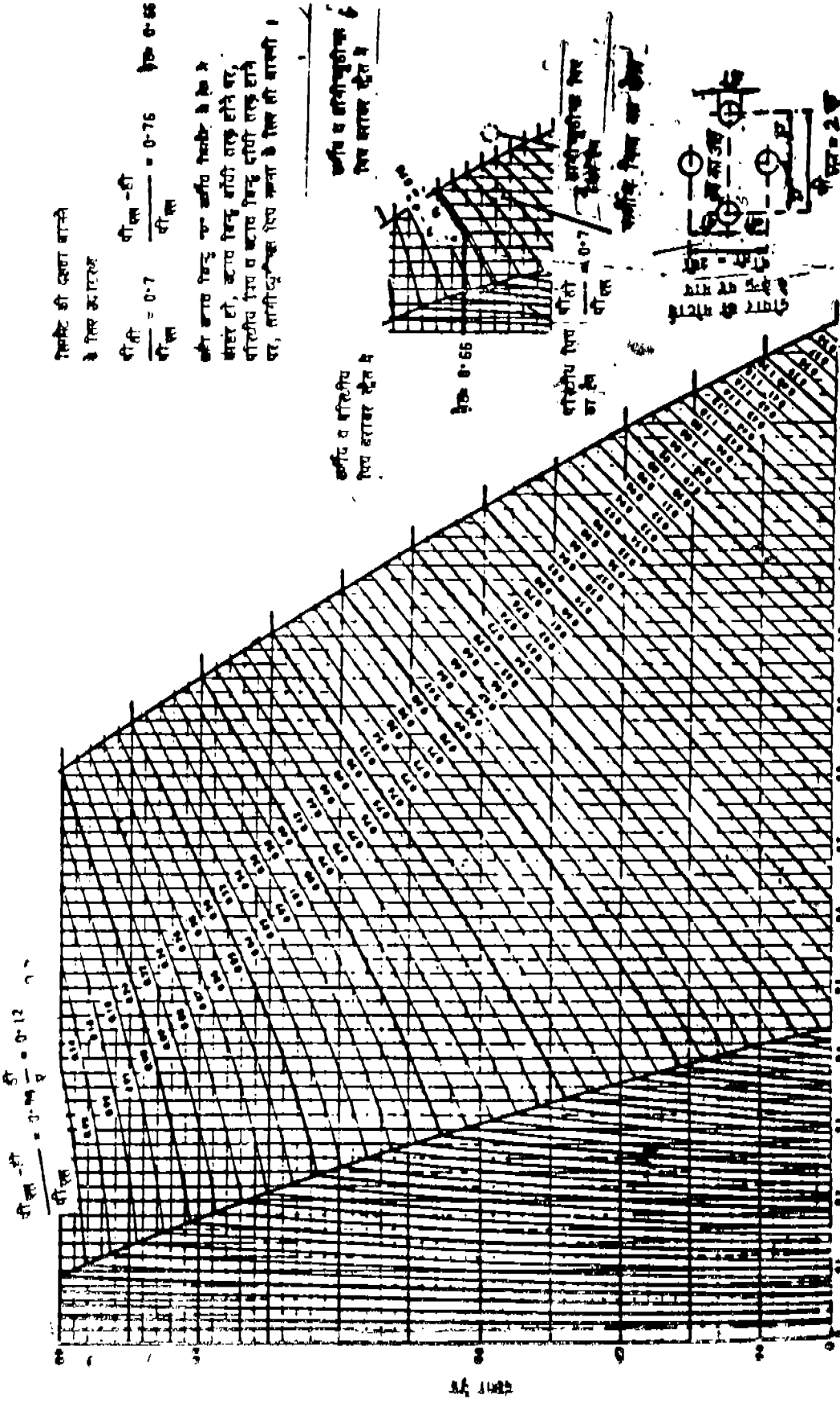

आकृति 16 - सुराखों के बीच लिगमेंट की दक्षता

3. उक्त रैगुलेशन में,—

(क) रैगुलेशन 275 के स्थान पर, निम्नलिखित रैगुलेशन प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"275 डिश्ड एण्ड प्लेट की आकृति:

जब एण्ड प्लेट अर्धदीर्घवृत्ताकार, आंशिक गोलाकार या अर्द्धगोलाकार आकृति की बनाई जाती हो, तो यह निम्नलिखित के अनुरूप होगा (आकृति संख्या 23ए, 23बी व 23सी देखें) :

(ए) बिना परिसीमा के अर्द्धगोलाकार हैड

(बी) प्रयोजन रूप से दीर्घवृत्ताकारीय हैड कि एच $\geq$ 0.2डी

(सी) आंशिक गोलाकार हैड निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हुए:

आर 0.1 "डी"

आर 3 "टी"

"आर" $\leq$ "डी"

"एच" $\geq$ 0.18 "डी"

उन एण्ड्स के लिए जिनका "एच"/"डी" का अनुपात 0.18 से 0.2 के बीच में आता हो "आर" $\leq$ 1.2"डी" अनुमेय है ।

आकृति संख्या 23ए, 23बी और 23सी के अनुसार,—

"डी" = हैड का बाह्य व्यास;

"एच" = सिलेंड्रीकल शैल के डिश्ड भाग के साथ जोड़ से बाह्य सतह पर मापी हुई हैड की ऊंचाई;

"आर" = आंशिक गोलाकार हैड के गोलाकार भाग का आंतरिक अर्द्धव्यास;

आर = आंशिक गोलाकार हैड का आंतरिक नक्कल अर्द्ध-व्यास ।"

(ख) आकृति संख्या 23 के स्थान पर, निम्नलिखित आकृतियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

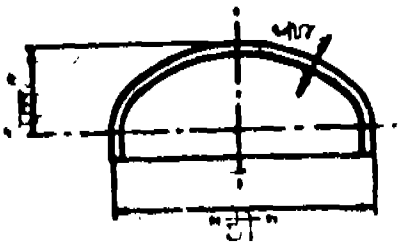

आकृति 23ए – ईलिप्टीकल हैड

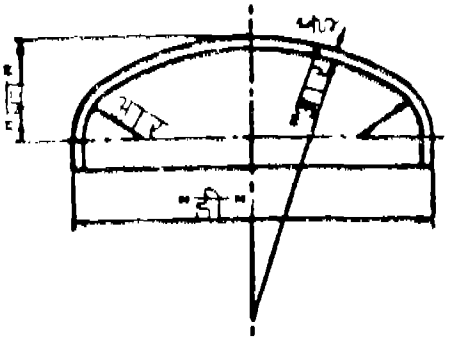

आकृति 23बी – टॉरीस्फैरीकल हैड

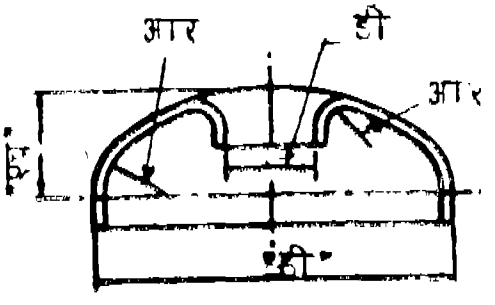

आकृति 23सी – पैन हौल वाला हैड
(इलिप्टीकल या टॉरीस्फैरीकल)

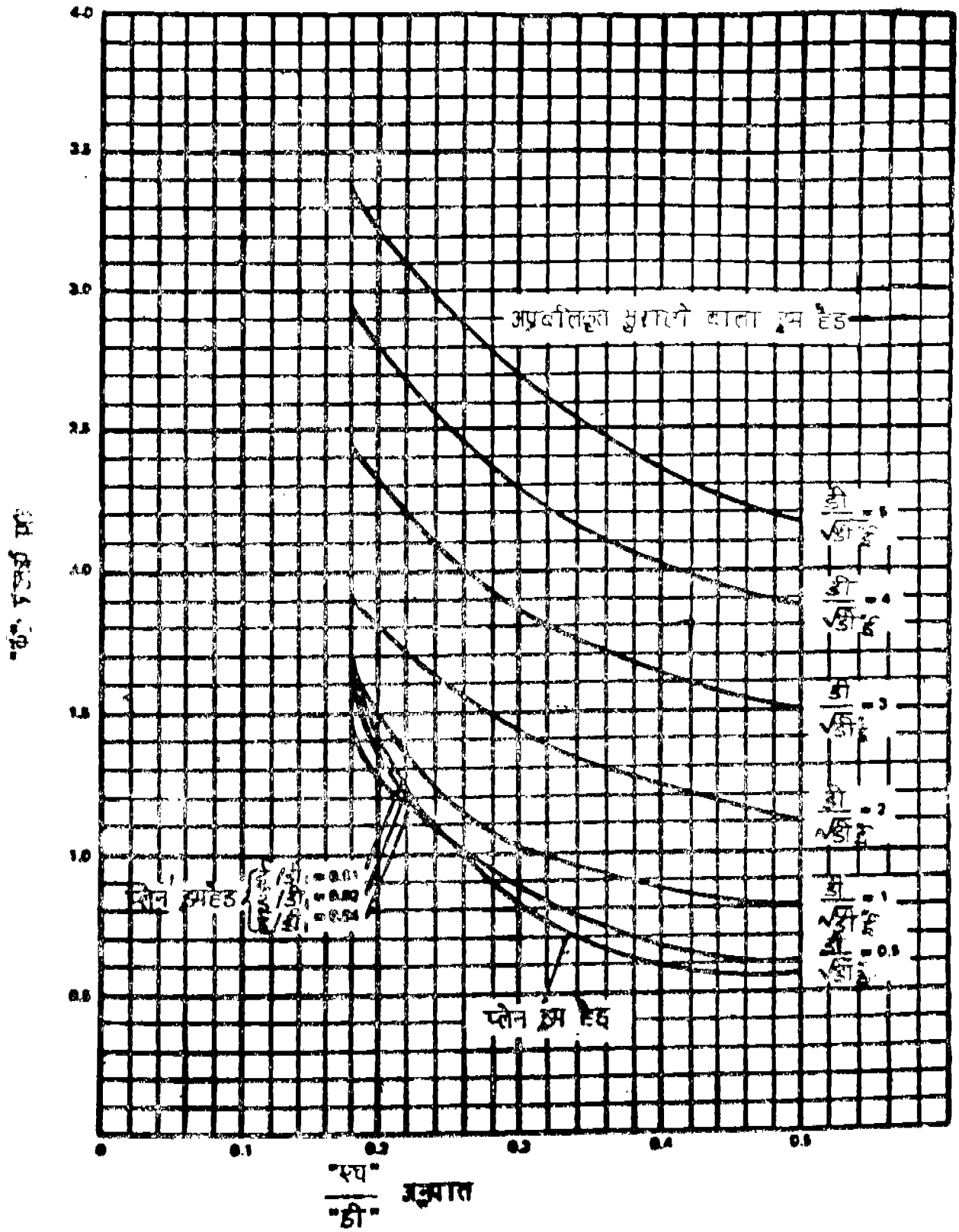

आकृति 22डी - ड्रम हेड के लिये शेप फैक्टर "के" का ग्राफ

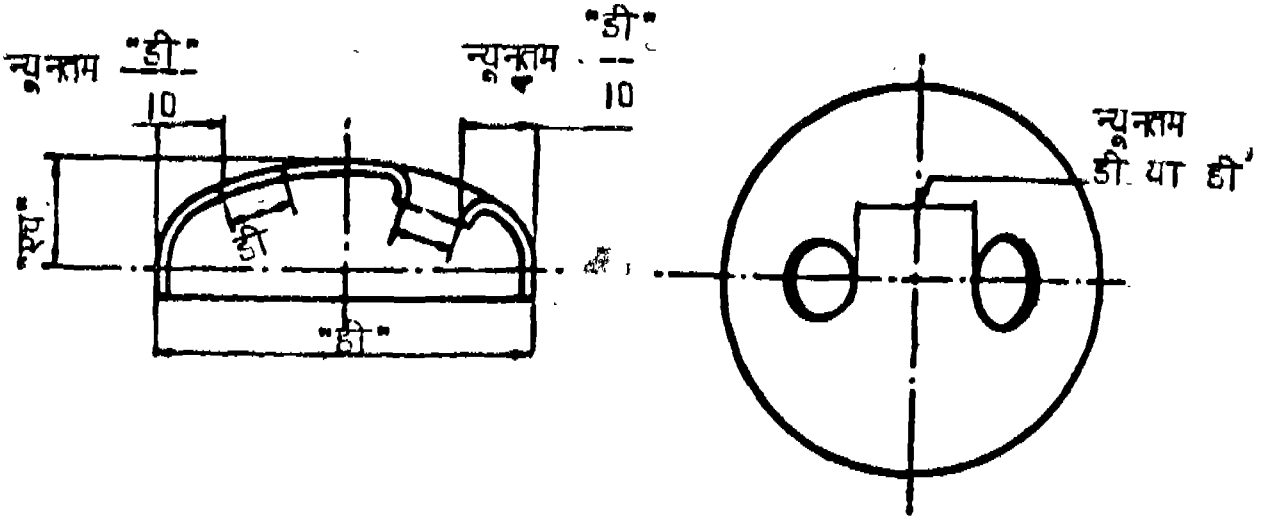

आकृति 23ई - हैड में सुराख

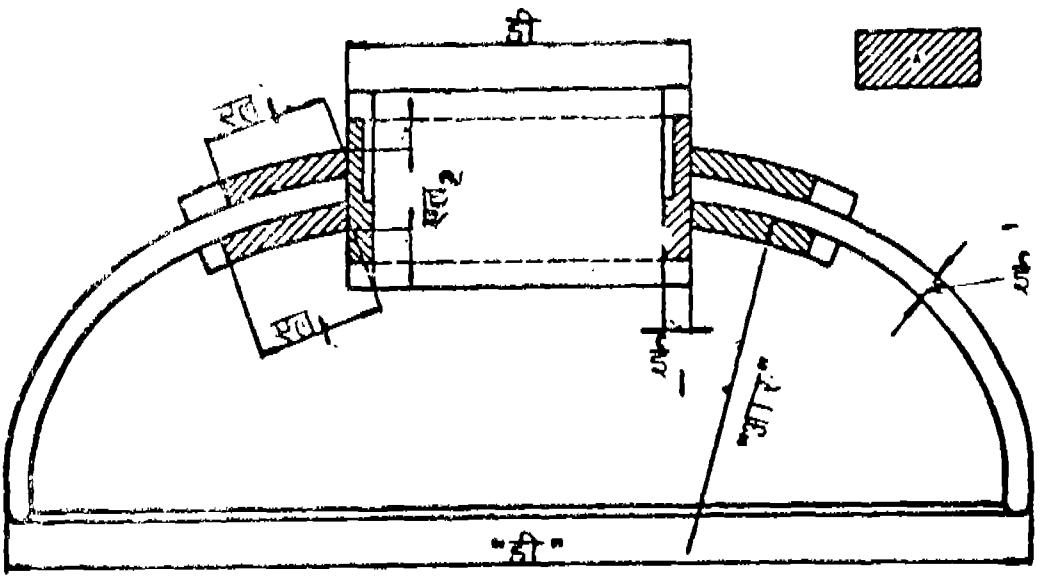

आकृति 23एफ - प्रबलीकृत सुराख

4. उक्त रैगूलेशन में, रैगूलेशन 277 के स्थान पर, निम्नलिखित रैगूलेशन छापी जाएगी, अर्थात्:—

277. ओपनिंग वाले डिप्ड एण्ड:—

(ए) ओपनिंग वाले हैड:—(i) हैड्स में काटे गए सुराख (मैनहोल या ट्यूब होल) गोल या दीर्घ-वृत्तीय होने चाहियें ।

(ii) उप रैगूलेशन (सी) की शर्तों के अनुरूप छोटे ओपनिंग का प्रबलीकरण अपेक्षित नहीं है ।

(iii) बड़े माप के ओपनिंग के लिए एक उप रैगूलेशन (बी) के अनुसार या उप रैगूलेशन (डी) के अनुसार ओपनिंग के प्रबलीकरण के लिए हैड की मोटाई में वृद्धि अपेक्षित है ।

(बी) बड़े अप्रबलीकृत ओपनिंग वाले हैड के लिए शेप फैक्टर "के":—हैड की मोटाई परिकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शेप फैक्टर "के", हैड की ऊंचाई "एच" और सबसे बड़ी आपनिंग के माप के अनुसार परिवर्तित होगा । "के" का मान आकृति 23डी में, वक्र रेखाओं द्वारा दिखाया गया है, जिनमें से प्रत्येक $\sqrt{\frac{\text{डी}}{\text{"डी"}\ \text{"टी"}}}$ अनुपात के अनुरूप है, जहां,

डी = हैड में सबसे बड़ी ओपनिंग का व्यास (दीर्घवृताकारीय ओपनिंग के मामले में, दीर्घवृत का बड़ा व्यास);

"डी" = हैड का बाह्य व्यास, और

"टी" = डिशिंग के उपरान्त न्यूनतम मोटाई ।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें पूरी की जायेंगी :

$$\frac{\text{"टी"}}{\text{"डी"}} \leqslant 0.1$$

$$\frac{\text{डी}}{\text{"डी"}} \leqslant 0.5$$

हैड की प्लेट में साधारणतया काटी गई ओपनिंग और वो जो अन्दर की ओर फैलाई गई हों, उनके लिए भी वही शर्तें व वही वक्र रेखायें लागू होंगी । बाद वाले मामले में, फ्लैंजिंग का अर्द्धव्यास आर (आकृति 23 सी देखें) 25 मिलीमीटर (1 इंच) से कम नहीं होगा । फैलाए गए भाग की मोटाई परिकलन की गई मोटाई "टी" से कम हो सकती है ।

डिश्ड हैडों में अप्रबलित ओपनिंग और अन्दर से फैलाए गए ओपनिंग इस प्रकार से व्यवस्थित किए जायेंगे कि हैड के किनारे से दूरी आकृति संख्या 23 ई में दिखाई गई दूरी से कम न हो ।

सभी दशाओं में दो संलग्न सुराखों के बीच की पट्टी की चौड़ाई कम से कम प्रीजैक्शन में, आकृति संख्या 23ई में दिखाए गए सबसे छोटे ओपनिंग के व्यास के बराबर होनी चाहिए ।

(सी) छोटे ओपनिंग जिनका प्रबलिकरण अपेक्षित नहीं है :—

आकृति संख्या 23 डी दिखाती है कि एक दिये हुए अनुपात $\frac{\text{"एच"}}{\text{"डी"}}$ के लिए एक प्लेन हैड का शेप फैक्टर "के", अनुपात । $\sqrt{\frac{\text{डी}}{\text{"डी"}\ \text{"टी"}}}$ के एक निश्चित मान के अनुरूप होगा । इस मान के अनुरूप व्यास से छोटे या इसके बराबर के सुराख हैड, जिसकी मोटाई प्लेन हैड की न्यूनतम मोटाई के बराबर हो, में बिना किसी प्रबलिकरण के छेदे जा सकते हैं । यद्यपि इन ओपनिंग की स्थिति उप-रैगूलेशन (बी) में दी हुई शर्तों के अनुरूप होगी ।

(डी) बड़े ओपनिंग का प्रबलिकरण:—हैड की मोटाई बढ़ाए बिना बड़े सुराख काटे जा सकते हैं बशर्ते कि उनका प्रयाप्त प्रबलिकरण किया गया हो । प्रबलिकरण वैल्ड की हुई नॉजल, या एक या दो प्रबलिकरण वैल्ड प्लेटें, या इन दोनों प्रणालियों के संयोजन में से किसी प्रकार से भी किया जा सकता है । बनावट की मजबूती जानने के लिए, ऐसा किया जाएगा (आकृति 23 एफ देखें) माना कि सुराख का काल्पनिक व्यास "डी" इस सूत्र से जाना जाता है

डी = डी—"ए" / "टी"

जहां,

डी = हैड में के सुराख का वास्तविक व्यास (नॉजल का बाह्य व्यास);

"टी" = हैड की न्यूनतम मोटाई; और

"ए" = प्रबलिकरण का प्रभावी क्राम सैक्शन ।

यह प्रभावी क्षेत्रफल "ए", निम्नलिखित सीमाओं के अंतर्गत, प्रबलिकरण प्लेटों के वास्तविक क्राम सैक्शन व नॉजल के क्राम सैक्शन में से दबाव को सहारा देने के लिए आवश्यक क्राम सैक्शन घटाते हुए, नॉजल के उन भागों के लिए जो हैड की आंतरिक सतहों के बाहर हो, के अनुरूप होगा ।

उस दशा में शेप फैक्टर 'के' आकृति संख्या 23डी में से $\frac{\text{डी}}{\sqrt{\text{"डी"}\ \text{"टी"}}}$ अनुपात के अनुरूप लिया प्रबलिकरण के क्षेत्रफल की अधिकतम सीमायें जो हिसाब में रखी जायेंगी, वो ऐसे होंगी—

(ए) $\text{एल}_1 = \sqrt{2\text{"आर"}\ \text{"टी"}}$, प्रबलिकरण प्लेट की चौड़ाई के लिए

(बी) $\text{एल}_2 = \sqrt{\text{डी}\ \text{"टी"}_{\text{टी}}}$, नाजल की लम्बाई के लिए

जहां,—

"आर" = हैड के गोलाकार भाग का आन्तरिक अर्द्ध-व्यास

(या दीर्घवृताकार हैडों के लिए सुराख के केन्द्र पर मैरीडियन की गोलाई का आंतरिक अर्द्धव्यास)

$\text{"टी"}_{\text{टी}}$ = नॉजल की वास्तविक मोटाई

एल_1 व एल_2 = आकृति 23 एफ में दिए हुए माप ।

प्रबलिकरण पट्टी के बाह्य किनारों की स्थिति उप-रैगूलेशन (बी) के उपबन्धों व आकृति संख्या 23 ई के अनुरूप होगी ।

उन स्थितियों में जब प्रबलिकरण पट्टी के भाग की स्वीकार्य स्ट्रैस, हैड की स्वीकार्य स्ट्रैस से कम हो, संगत क्षेत्रफल "ए" को निम्नलिखित अनुपात से गुणा कर देना चाहिए:

$$\frac{\text{प्रबलिकरण द्रव्य की स्वीकार्य स्ट्रैस}}{\text{हैड के द्रव्य की स्वीकार्य स्ट्रैस}}$$

5. उक्त रैगूलेशन में,

(क) रैगूलेशन 278 के स्थान पर निम्नलिखित रैगलेशन प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"278. कानकेव साइड पर दबाव वाली एण्ड प्लेट—

कानकेव साइड पर दबाव वाली एण्ड प्लेट पर दबाव निम्नलिखित सूत्र से जाना जाएगा:—

डब्बलू. पी. = 2 एफ ("टी"—"सी")
"डी" "के"

जहां,

"टी"—न्यूनतम मोटाई

"पी"—अधिकतम वर्किंग प्रैशर-डिजाइन प्रैशर ;

"डी"—बाह्य व्यास;

एफ—स्वीकार्य स्ट्रैस;

"के"—शेप फैक्टर जैसा कि रैगूलेशन 277 की उप रैगूलेशन (ए) में तथा आकृति संख्या 23डी में परिभाषित है; और

"सी"—0.75 मिलीमीटर की अतिरिक्त मोटाई यद्यपि हैड की न्यूनतम मोटाई 5 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए ।"

(ख) आकृति संख्या 22 हटा दी जाएगी ।"

[मिसिल सं. 6(24)/93—बायलर]

वी. के. गोयल, सचिव

पाद टिप्पण:—मूल विनियम एस. आर. ओ. संख्या 600 दिनांक 15 सितम्बर, 1950 में केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किए गए थे व अन्तिम बार निम्नलिखित अधिसूचना में संशोधित किए गए थे :

(1) सा. का. नि. संख्या 178 दिनांक 24 मार्च, 1990

(2) सा. का. नि. संख्या 179 दिनांक 24 मार्च, 1990

(3) सा. का. नि. संख्या 488 दिनांक 9 अक्तूबर, 1993

(4) सा. का. नि. संख्या 516 दिनांक 23 अक्तूबर, 1993

(5) सा. का. नि. संख्या 634 दिनांक 25 दिसम्बर, 1993

(6) सा. का. नि. संख्या 107 दिनांक 26 फरवरी, 1994

(शुद्धि पत्र सा. का. नि. संख्या 223 दिनांक 14 मई, 1994)

(7) सा. का. नि. संख्या 250 दिनांक 4 जन, 1994

(8) सा. का. नि. संख्या 402 दिनांक 12 अगस्त, 1994

(9) सा. का. नि. संख्या 427 दिनांक 20 अगस्त; 1994

(10) सा. का. नि. संख्या 562 दिनांक 12 नवम्बर, 1994

(11) सा. का. नि. संख्या 607 दिनांक 10 दिसम्बर 1994

MINISTRY OF INDUSTRY

(Central Boilers Board)

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 27th January, 1995

G.S.R. 93.—Whereas a draft of certain regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, was published as required by sub-section (1) of section 31 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923) at pages 694 to 710 of the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (1), dated the 30th April, 1994 under the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) (Central Boilers Board) number GSR 210 dated the 13th April, 1994 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of forty-five days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 27th May, 1994;

And whereas no objections or suggestions have been received;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 215,—

(i) for the sub-regulation (d), the following sub-regulations shall be substituted, namely :—

"(d)(i) When bending stresses due to weight are negligible and the tube holes are arranged along a diagonal line with respect to the longitudinal axis, the efficiency (z) of corresponding ligaments is given in Figure 14, with the ratio b/a on the abscissa and the ratio $\frac{2a-d}{2a}$ or $\frac{d}{a}$ used as a parameter.

where,

a and b are measured as shown in Figures 13A and 13B.

d = diameter of the tube holes.

NOTES :

1. The diamension should be measured either on the flat plate before rolling or on the mediam line after rolling.

2. The data given on Figure 14 are based on the following fomulae;

$$Z = \frac{2}{A+B+\sqrt{(A-B)^2+4C^2}},$$

where,

$$A = \frac{\cos^2 \alpha+1}{2\left\{\frac{d \cos \alpha}{a}\right\}},$$

$$B = \frac{1}{2}\left(1-\frac{d \cos \alpha}{a}\right)\left(\sin^2 \alpha+1\right),$$

$$C = \frac{\sin \alpha \cos \alpha}{\left\{1-\frac{d\,dos\alpha}{a}\right\}},$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}},$$

$$\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{a^2}{b^2}}},$$

(α = angle of centre line of cylinder to centre line of diagonal holes)

(ii) The same rule as in para-graph (i) should apply for the case of drilling holes to a regular saw-tooth shown in Figure 13C.

(iii) In the case of a regular staggered spacing of tube holes, (see Figure 13A, the smallest value of the efficiency z of all the ligaments, longitudinal, circumferential and diagonal, is given in Figure 15 by the ratio Pc on the abscissa, and the ratio

$$\frac{\overline{PL}}{} \qquad \frac{PL - d}{PL} \text{ or } \frac{-}{a} \text{ used as a parameter}$$

where,

d = diameter of the tube holes;

Pc = 2b = twice the distance between circumferential rows of holes;

PL = 2a = twice the distance between axial rows of holes.

NOTE : The dimension Pc should be measured on the flat plate before rolling or on the median line after rolling. The data on Figure 15 are based on the same formulae as shown in Figure 13A.

(e) When holes spaced longitudinally along a drum are not in a straight line, the equivalent longitudinal pitch for each spacing may be used in the application of the above rules. The equivalent pitch is obtained by multiplying the actual longitudinal pitch by the equivalent efficiency obtained from Figure 14 for each spacing."

(ii) For figures 13, 14 and 15, the following figures shall be substituted, namely:—

(Figures 13A, 13B, 13C, 14 and 15 to be printed here).

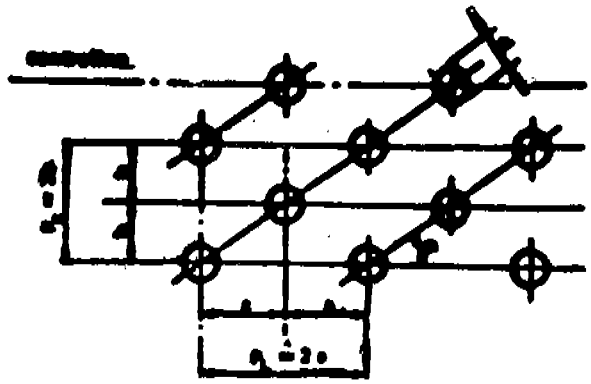

Figure 13A - Regular staggering of holes

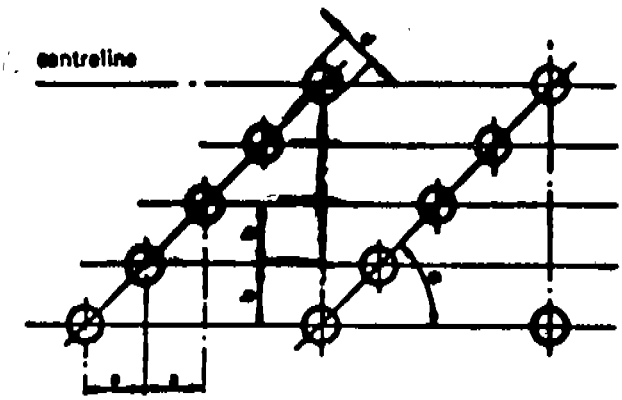

Figure 13B - Spacing of holes on a diagonal line

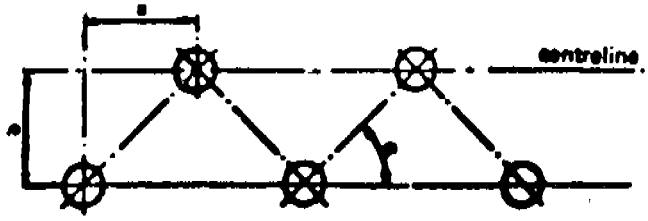

Figure 13C - Regular saw-tooth pattern of holes

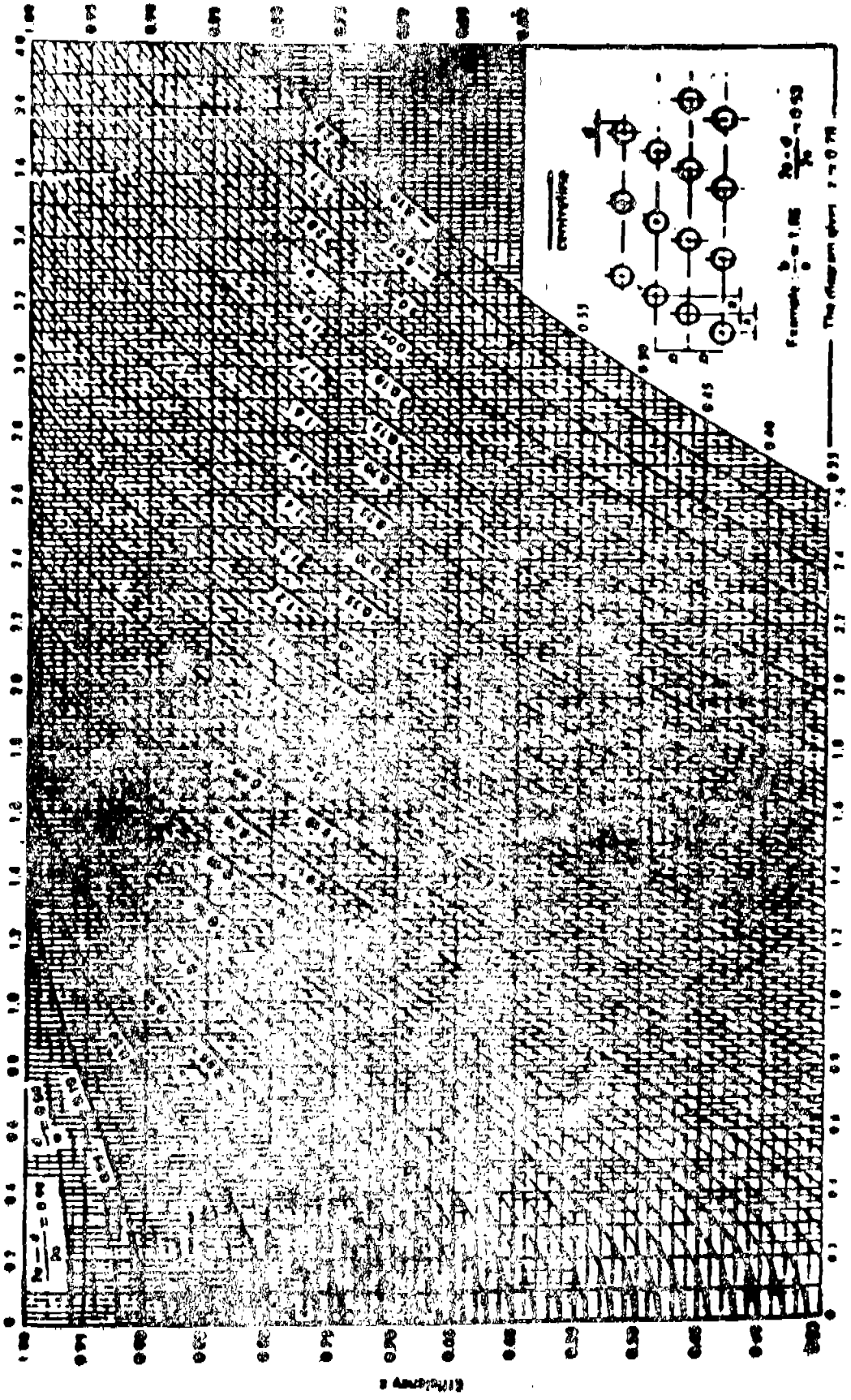

Figure 14—Efficiency of ligament along a diagonal line

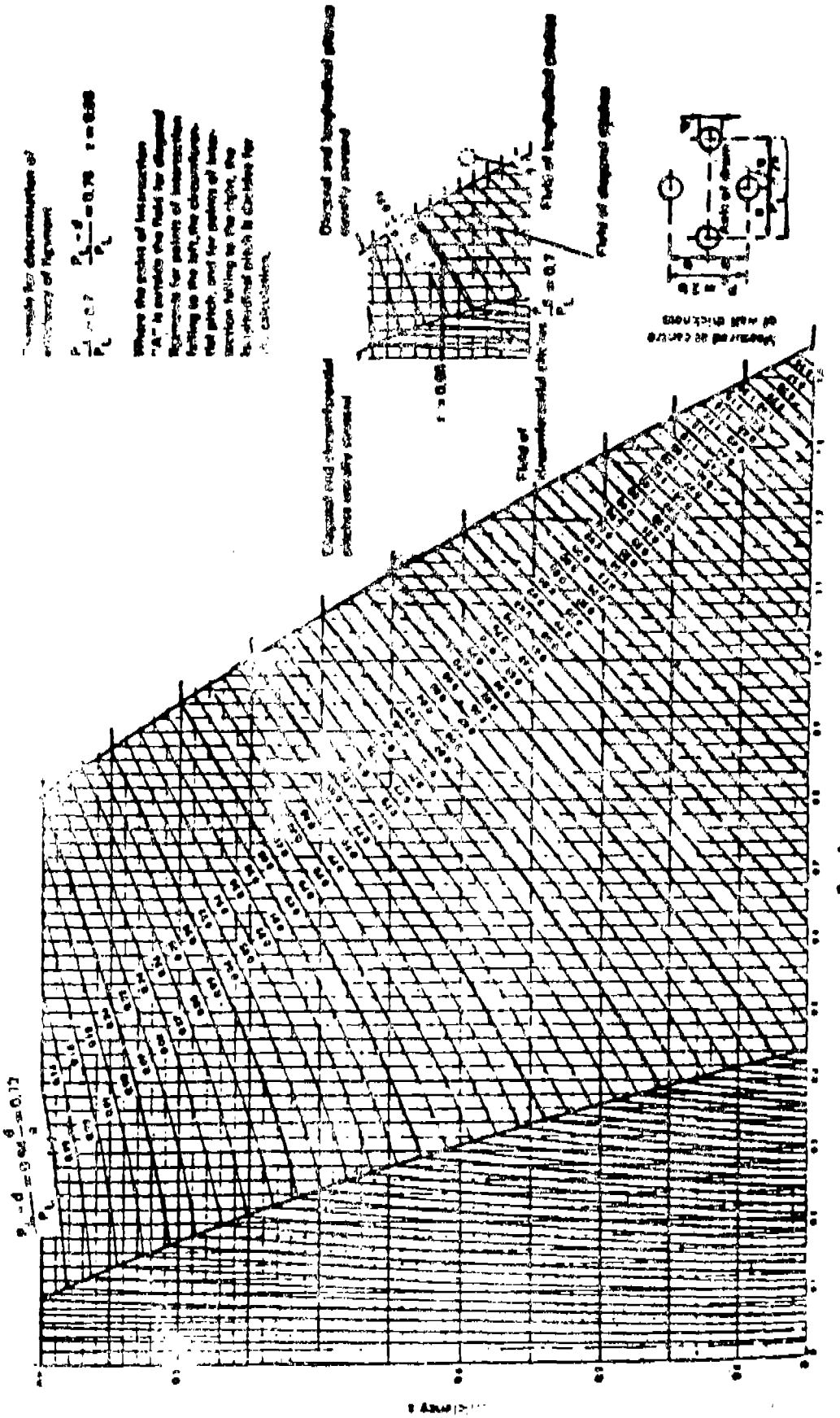

Figure 15–Efficiency of ligaments between holes

3. In the said regulations,—

(i) for regulation 275, the following regulation shall be substituted, namely :—

"275. Shape of dished end plate:

When the end plate is dished to semiellipsodial, partial-spherical or hemispherical form, it shall comply with the following (see Figure 23A, 23B and 23C);

(a) hemispherical heads without limitation;

(b) elliptical heads sufficiently dished so that

$H \geq 0.2D$;

(c) partial spherical heads satisfying all the following requirements:

$r \geq 0.1D$

$r \geq 3T$

$R \leq D$

$H \geq 0.18D$

A value of $R < 1.2$ D is permitted for ends in which the ratio H/D falls between 0.18—0.2.

In accordance with Figures 23A, 23B and 23C,—

D = outside diameter of the head;

H = height of the head measured on its outside surface from the junction of the dished part with the cylindrical shell;

R = inside radius of the spherical part of partial spherical heads;

r = inside knuckle radius of partial spherical heads."

(ii) for figure 23, the following figures shall be substituted, namely :—

(See Figures 23A, 23B, 23C, 23D,23E and 23F on page Nos, 399 to 401)

4. In the said regulations, for regulation 277, the following regulation shall be substituted, namely :—

"277. Dished end with opening:—

(a) Heads with openings :—(i) Holes cut in the heads (manholes or tube holes) should be round or elliptical.

(ii) Small size openings complying with conditions of sub-regulation (c) do not require any additional thickness of head or reinforcement of opening.

(iii) Large size openings require an increase in thickness of the head, according to sub-regulation (b) or a reinforcement of the opening according to sub-regulation (d).

(b) Shape factor K for heads with large unreinforced openings :—The shape factor K to be used in calculating the thickness of heads varies depending on the height of the head H and on the dimensions of the largest opening. The value of K is indicated in Figure 23D, by means of curves, each of which corresponds to a value of the ratio—

$$\frac{d}{\sqrt{DT}}$$

where,—

d = diameter of the largest opening in the head (in the case of an elliptical opening, the larger diameter of the ellipse);

D = outside diameter of the head; and

T = minimum thickness after dishing.

In addition, the following conditions shall be satisfied:

$$\frac{T}{D} \leq 0.1$$

$$\frac{d}{D} \leq 0.5$$

The same condition and the same curves apply for openings simply cut in the plate of the head as well as to those which are flanged inwards. In the latter case, the radius r' of the flanging (see Figure 23C) should not be smaller than 25mm (1 inch). The thickness of the flanged portion may be smaller than the calculated thickness T.

Unreinforced openings and flanged-in openings in dished heads shall be arranged so that the distance from the edge of the head is not less than as shown in Figure 23E.

In all cases the width of the band separating two adjacent openings should, in projection, be at least equal to the diameter of the smallest opening as shown in Figure 23E.

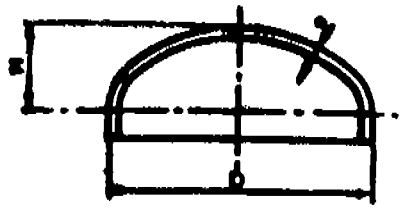

Figure 23A - Elliptical Head

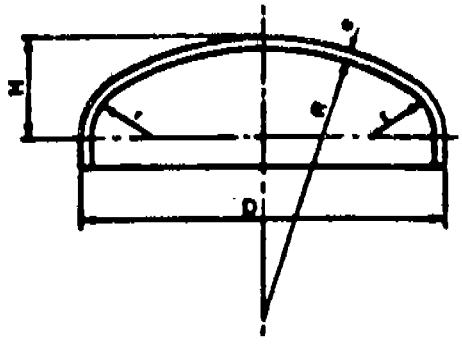

Figure 23B - Torispherical head

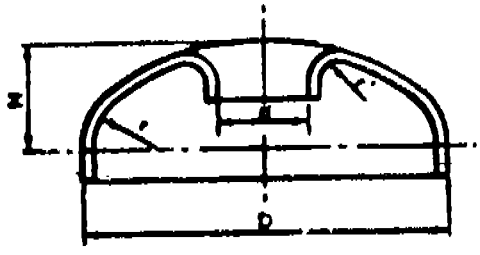

Figure 23C - Head with manhole
(elliptical or torispherical)

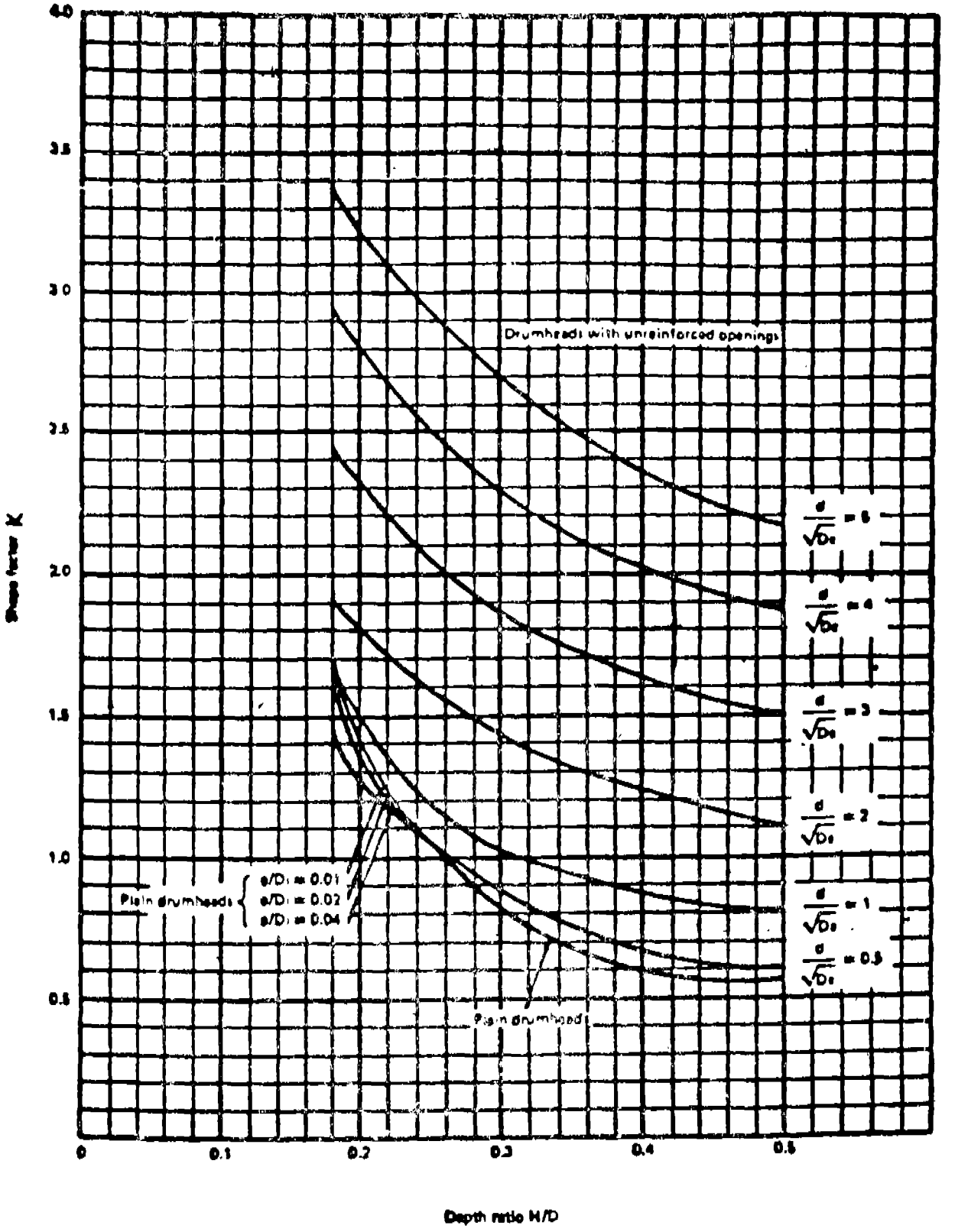

Figure 23D-Graph of shape factor K for dished heads.

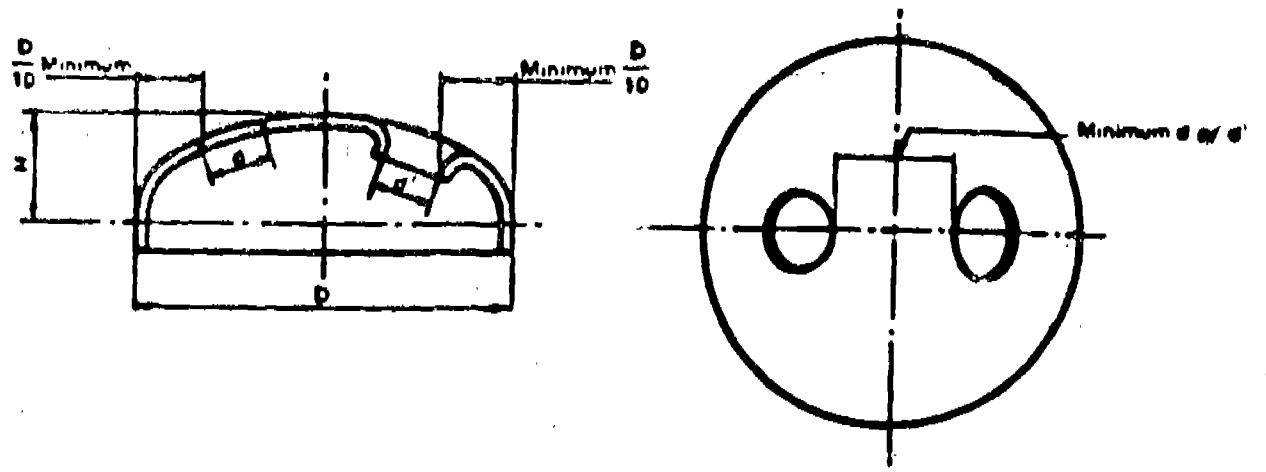

Figure 23E - Opening in heads

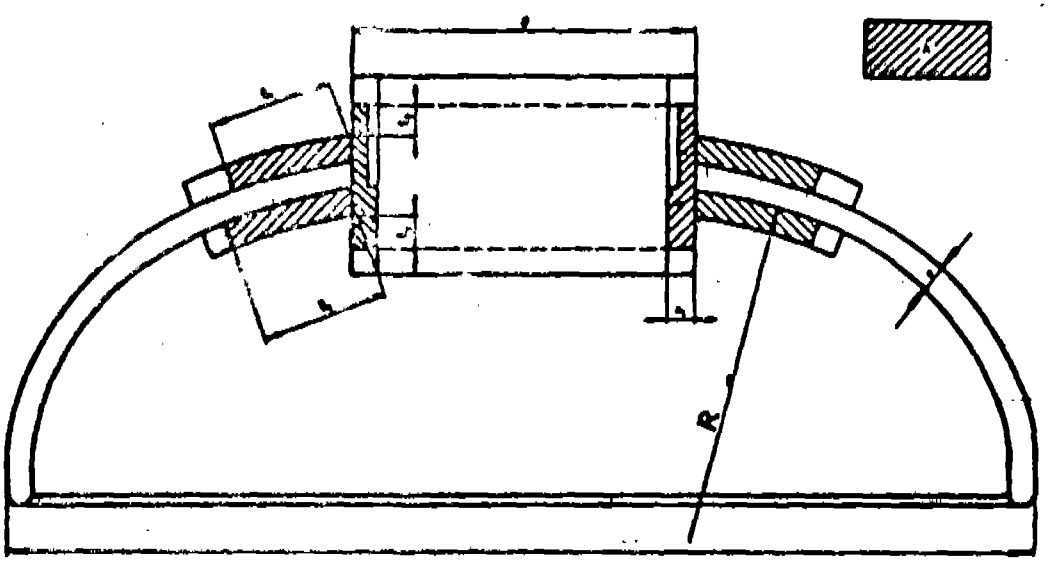

Figure 23F - Reinforced opening

(c) Small openings which do not require any reinforcement : Figure 23D indicates that, for a given ratio of H/D, the shape factor K of a plain head corresponds to a certain value of the ratio,

$$\frac{d}{\sqrt{DT}}$$

Piercing of holes with a diameter smaller than or equal to that which corresponds to this value can thus be made without any reinforcement in a head, the thickness of which is equal to the minimum required for a plain head.

The position of those openings shall however comply with the conditions stated in sub-regulation (b).

(d) Reinforcement of large openings :—Large holes may be cut without increasing the thickness of the head, provided they are sufficiently reinforced.

The reinforcement may consist either of a welded nozzle or one or two reinforcing welded plates, or of a combination of these two procedures.

To determine the strength of the construction, one shall proceed as follows (see Figure 23F) : Let the imaginary diameter d' of the opening be given by the formula

$$d' = d - \frac{A}{T}$$

where,

d = actual diameter of the opening in the head (outside diameter of the nozzle) ;

T = minimum thickness of the head; and

A = effective cross-section of reinforcement.

This effective area A corresponds, within the Limits given below, with the actual cross-section of the reinforcing plates and with the cross-section of the nozzle decreased by the cross-section necessary to support the pressure, for those parts of the nozzle situated outside the internal surface of the head.

The shape factor K can then be read from Figure 23D, corresponding to the ratio

$$\frac{d'}{\sqrt{DT}}$$

The maximum limits for the area of reinforcement that should be taken into account are

(a) L1 = $\sqrt{2RT}$. for the width of a reinforcing plate;

(b) L2 = $\sqrt{d\ Tt}$ for the length of a nozzle

where,—

R = internal radius of the spherical part of the head (or for elliptical heads the internal radius of curvature of the meridian at the centre of the opening).

Tt = actual thickness of the nozzle,

L1 and L2 = diamensions given in Figure 23F

The position of the outer edges of the reinforcement shall comply with the provisions of sub-regulation (b) and Figure 23E.

In cases where the allowable stress of a part of the reinforcement is lower than that of the head, the corresponding area A should be multiplied by the ratio;

$$\frac{\text{allowable stress of the reinforcement material}}{\text{allowable stress of the head material.}}$$".

5. In the said regulations,—

(i) for regulation 278, the following regulation shall be substituted, namely :—

"278. End plate subject to pressure on the concave side.—

Dished ends subjected to pressure on the concave side shall be determined by the following formula :

$$W.P. = \frac{2f\ (T-C)}{DK}$$ where,

T = Minimum thickness;

P = Maximum working pressure, Design pressure;

D = Outside diameter;

f = Permissible stress;

K = Shape factor as defined in sub-regulation (a) of regulation 277 and Figure 23D; and

C = an additive thickness equal to 0.75 mm.

The minimum head thickness should not, however be less than 5 mm.".

(ii) Figure 22 shall be omitted.

[File No. 6(24)/93-Boilers]

V.K. GOEL, Secy.

Footnote :—The principal regulations were published in the Gazette of India as S.R.O. No. 600 dated 15th September, 1950 and last amended vide Gazette notifications numbers—

(i) GSR 178 dated 24th March, 1990

(ii) GSR 179 dated 24th March, 1990

(iii) GSR 488 dated 9th October, 1993

(iv) GSR 516 dated 23rd October, 1993

(v) GSR 634 dated 25th December, 1993

(vi) GSR 107 dated 26th February, 1994

Errata GSR 223 dated 14th May, 1994

(vii) GSR 250 dated 4th June, 1994

(viii) GSR 402 dated 12th August, 1994

(ix) GSR 427 dated 20th August, 1994.

(x) GSR 562 dated 12th November, 1994.

(xi) GSR 607 dated 10th December, 1994.

(विकास आयुक्त का कार्यालय)

(लघु उद्योग)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1995

सा. का. नि. 94:--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लघु उद्योग विकास संगठन समूह "क" और समूह "ख" (राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लघु उद्योग विकास संगठन समूह "क" और समूह "ख" (राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लघु उद्योग विकास संगठन समूह "क" और समूह "ख" (राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1962 में, :--

(क) अनुसूची 5 में,--

(1) स्तंभ 6 के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक के साथ एक नया स्तंभ "6 (क)" अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

6 (क)

(2) निदेशक (श्रेणी) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :--

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं
1	2	3	4	5	6	6(क)
1. निदेशक (कार्मिक, प्रबन्ध और प्रशिक्षण)	11* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित (अननुसचिवीय)	3700-125-4700-150-5000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
10	11
60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा। 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति : (1) 80 प्रतिशत ऐसे उप निदेशक (औद्योगिक प्रबन्ध और प्रशिक्षण) को प्रोन्नति द्वारा जिनके उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हैं।

11	
	(2) 30 प्रतिशत ऐसे उप निदेशक (साधारण प्रशासनिक प्रभाग) की प्रोन्नति द्वारा जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनकी सेवा में कमी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से एक वर्ष से अधिक न हो हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हों। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :— केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (1) जो नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं, या (2) जिन्होंने 3000—4500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हैं; और (ख) जिनके पास किसी पर्यवेक्षी हैसियत में प्रशासन/लेखा और स्थापन कार्य का आठ वर्ष का अनुभव है। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग से इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
(प्रोन्नति के लिए) समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त विकास आयुक्त/आर्थिक सलाहकार/औद्योगिक सलाहकार —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(ख) अनुसूची 6 में निदेशक (श्रेणी 1) और निदेशक (श्रेणी 2) के पदों से संबंधित क्रमशः क्रम संख्यांक 1 और 2 और उनके सामने की तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

3. लघु उद्योग विकास संगठन समूह "क" और समूह "ख" (राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 के प्रारंभ की तारीख को निदेशक (औद्योगिक प्रबन्ध और प्रशिक्षण) पद के नियमित पदधारी प्रारंभिक गठन पर निदेशक (कार्मिक, प्रबन्ध और प्रशिक्षण) के पद पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे । ऐसे अन्य अधिकारी, जो उस तारीख को प्रतिनियुक्ति के आधार पर निदेशक (साधारण प्रशासनिक प्रभाग) का पद धारण किए हुए हैं, प्रारंभिक गठन पर विद्यमान निबंधनों और शर्तों पर निदेशक (कार्मिक, प्रबन्ध और प्रशिक्षण) के पद पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे ।

[सं. 12918/2/89 ए (ई)]
वी. एस. चावला, उप निदेशक (प्रशासन)

पाद टिप्पण :—

लघु उद्योग विकास संगठन (समूह "क" और "ख") (राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1962 भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 (1) में, सा. का. नि. 960, तारीख 6-7-62 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए हैं ;

(1) सा. का. नि. 67, तारीख 5-11-1963
(2) सा. का. नि. 1911, तारीख 4-12-1963
(3) सा. का. नि. 1336, तारीख 11-9-1965
(4) सा. का. नि. 1550, तारीख 23-10-1965
(5) सा. का.नि. 1052, तारीख 2-7-1966
(6) सा. का. नि. 1360, तारीख 9-9-1967
(7) का. आ. 321, तारीख 16-12-1967
(8) सा. का. नि. 1150, तारीख 3-7-1972
(9) सा. का. नि. 137, तारीख 22-11-1975
(10) सा. का. नि. 336, तारीख 19-3-1977
(11) सा. का. नि. 1255, तारीख 24-9-1977
(12) सा. का. नि. 190, तारीख 4-2-1977
(13) सा. का. नि. 15 (ई), तारीख 1981
(14) सा. का. नि. 235, तारीख 25-2-1989
(15) सा. का. नि. 38 (ई), तारीख 28-1-1994

(Office of the Development Commissioner)

(Small Scale Industries)

New Delhi, the 10th February, 1995

G.S.R. 94.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Small Scale Industry Development Organisation Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) Posts Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Small Scale Industry Development Organisation [Group A and Group B (Gazetted) Posts] Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Small Scale Industry Development Organisation Group A and Group B (Gazetted) Posts Recruitment Rules, 1962,—

(a) In Schedule V,—

(i) after column 6, a new column '6(a)' with the following heading shall be inserted, namely :—

"Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

6(a)";

(ii) for serial number 1 relating to the post of Director (Grade I) and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

SCHEDULE V

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
"1. Director (Personnel, Management and Training)	11* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central services Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 3700-125-4700-150-5000	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of rectt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Nil	60% promotion falling which by transfer on deputation. 40% transfer on ndeptation.

In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion : (i) 80% by promotion of Deputy Director (Industrial Management and Training) with 5 yearss' regular service in the grade. (ii) 20% by promotion of Deputy Director (General Administrative Division) with 5 years' regular service in the grade. Note.—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period. Transfer on deputation : Officers under the Central Government. (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with 5 year's regular service in posts in the the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent ; and (b) Possessing 8 year's experience of administration, accounts and establishment work in a supervisory capacity. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'A' DPC (for promotion) consisting : 1. Chairman/Member, UPSC—Chairman 2. Jt. Development Commissioner/Economic Adviser/Industrial Adviser—Member.	Consultation with UPSC not necessary"

(b) in Schedule VI, serial number 1 and 2 relating to the posts of Director (Grade I) and Director (Grade II) respectively and the corresponding entries against them shall be omitted.

3. The regular incumbent(s) of the post of Director (Industrial Management and Training) on the date of commencement of the Small Scale Industry Development Organisation (Group A and Group B (Gazetted) posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1995 shall be deemed to have been appointed to the post of Director (Personnel, Management and Training) at the initial constitution. Other Officers who are holding the post of Director (General Administrative Division on deputation basis on the said date shall be deemed to have been appointed on the post of Director (Personnel, Management and Training) at the initial constitution on the existing terms and conditions.

[No. 12018/2/89A(E)]
B.S. CHAWLA, Dy. Dir. (Admn.)

Foote Note.—The small Industry Development Organisation Group 'A' and Group 'B' (Gazetted posts) Recruitment Rules, 1962 were published in the Gazette of India Part II section 3(i) vide GSR No. 760 dated 6-7-62 and subsequently amended vide:—

(i) GSR 67 dated 5-11-1963.
(ii) GSR 1711 dated 4-12-1963
(iii) GSR 1336 dated 11-9-1965
(iv) GSR 1550 dated 23-10-1965
(v) GSR 1052 dated 2-7-1966

(vi) GSR 1360 dated 9-9-1967
(vii) S.O. 321 dated 16-12-1967
(viii) GSR 1150 dated 3-7-1972
(ix) GSR 137 dated 22-11-1975
(x) GSR 336 dated 19-3-1977
(xi) GSR 1255 dated 24-9-1977
(xii) GSR 190 dated 4-2-1978
(xiii) GSR 15(E) dated 1981
(xiv) GSR 235 dated 15-2-1989
(xv) GSR 38(E) dated 28-1-1994

(औद्योगिक विकास विभाग)

(केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 95.—केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, भारतीय बॉयलर अधिनियम,, 1923 (1923 का 5) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 31 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि और इसके सर्वसाधारण को उपलब्ध होने के 45 दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जायेगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व, उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा। उक्त आक्षेप या सुझाव सचिव, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 के नाम भेजें।

मसौदा विनियम

1. (1) इन विनियमों को इंडियन बॉयलर (तीसरा संशोधन) रैगूलेशन, 1995 कहा जायेगा।

2. इन्डियन बॉयलर रैगूलेशन, 1950 में रैगूलेशन 7 के स्थान पर निम्नलिखित रैगूलेशन प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

7. मानक शर्तों से असंगत सैकिण्ड हैण्ड बॉयलरों का पंजीकरण :—

यदि एक सैकिंड हैंड बॉयलर अपने पंजीकरण के लिए इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, तो निम्नलिखित मामलों को छोड़कर उसका पंजीकरण नहीं किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) वाटर ट्यूब बॉयलर :—जहां बॉयलर के पंजीकरण के लिए वांछित प्रपत्र उसके पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं व उसकी कारीगरी किसी भी दृष्टि से संदेहजनक नहीं है, तो इन विनियमों से संगणना करके बॉयलर अवयवों के प्रचालन दबाव को 10 प्रतिशत घटाकर उसका पंजीकरण किया जा सकता है।

(ख) शैल टाईप बॉयलर—जहां पंजीकरण के लिये वांछित प्रपत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, तो इन विनियमों से संगणना करके बॉयलर अवयवों के प्रचालन दबाव को निम्नलिखित सारणी के आधार पर घटाकर उसका पंजीकरण किया जा सकता है :—

सारणी

बॉयलर की आयु (उसके प्रथम उपयोग से) वर्षों में	25	35	45	50	60	70	80	90	100
प्रचालन दबाव में घटोतरी (प्रतिशत)	5	10	15	20	30	40	50	60	70

[सिविल सं. 6(10)/91-बॉयलर]

विजय कुमार गोयल, सचिव

पाद टिप्पण :—मूल विनियम एस.आर.ओ. संख्या 600 दिनांक 15 सितम्बर, 1950 में केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किये गये थे

व अन्तिम बार निम्नलिखित अधिसूचना से संशोधित किये गये थे :—

(1) सा.का.नि. संख्या 178 दिनांक 24 मार्च, 1990
(2) सा.का.नि. संख्या 179 दिनांक 24 मार्च, 1990
(3) सा.का.नि. संख्या 488 दिनांक 9 अक्तूबर, 1993
(4) सा.का.नि. संख्या 516 दिनांक 23 अक्तूबर, 1993
(5) सा.का.नि. संख्या 634 दिनांक 25 दिसम्बर, 1993
(6) सा.का.नि. संख्या 107 दिनांक 26 फरवरी, 1994
(शुद्धि पत्र सा.का.नि. संख्या 223 दिनांक 14 मई, 1994)
(7) सा.का.नि. संख्या 250 दिनांक 4 जून, 1994
(8) सा.का.नि. संख्या 402 दिनांक 12 अगस्त, 1994
(9) सा.का.नि. संख्या 427 दिनांक 20 अगस्त, 1994
(10) सा.का.नि. संख्या 562 दिनांक 12 नवम्बर, 1994
(11) सा.का.नि. संख्या 607 दिनांक 10 दिसम्बर, 1994

(Department of Industrial Development)

(Central Boilers Board)

New Delhi, the 20th February, 1995

G.S.R. 95.—The following draft of certain regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, which the Central Boilers Board proposes to make in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), is hereby published, as required by sub-section (1) of section 31 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft within the period so specified will be considered by the Central Boilers Board. Such objections or suggestions should be addressed to the Secretary, Central Boilers Board, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi-110011.

DRAFT REGULATIONS

1. These regulations may called the Indian Boiler (Third Amendment) Regulations, 1995.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950, for regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely :—

7. Registration of second hand boilers not in accordance with the standard conditions :—If a second hand boiler is not conforming to the requirements of these regulations for its registration, then the same shall not be registered except in the following cases, namely :—

(i) Water Tube Boilers—Where the documents required for registration of the boiler for its registration are furnished and its workmanship is not in any way doubtful, it may be registered by reducing the working pressure of the parts of the boiler as calculated from these regulations by 10 per cent.

(ii) Shell Type Boilers—Where the documents required for its registration are furnished, it may be registered by reducing the working pressure of the parts of the boiler as calculated under these regulations as per the table given below.

TABLE

Age of boiler (from the date of first use) in years.	25	35	45	50	60	70	80	90	100
Reduction in working pressure (per cent)	5	10	15	20	30	40	50	60	70

[No. 6(10)/91-Boilers]

V. K. GOEL, Secy.

Footnote :—The principal regulations were published in the Gazette of India as S.R.O. 600 dated 15th September, 1950 and last amended vide Gazette notifications.—

(i) GSR 178 dated 24th March, 1990;
(ii) GSR 179 dated 24th March, 1990;
(iii) GSR 488 dated 9th October, 1993;
(iv) GSR 516 dated 23rd October, 1993;
(v) GSR 634 dated 25th December, 1993;
(vi) GSR 107 dated 26th February, 1994; (Errata GSR 223 dated 14th May, 1994)
(vii) GSR 250 dated 4th June, 1994;
(viii) GSR 402 dated 12th August, 1994;
(ix) GSR 427 dated 20th August, 1994;
(x) GSR 562 dated 12th November, 1994;
(xi) GSR 607 dated 10th December, 1994;

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1995

सा०का०नि० 96—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खाद्य और कृषि मंत्रालय (तकनीकी की अराजपत्रित समूह "ख" और समूह "ग" पदों पर भर्ती) नियम, 1959 को, जहां तक उनका संबंध अनुसंधान अन्वेषक (सांख्यिकी और अर्थशास्त्र) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग में ज्येष्ठ सांख्यकीय अन्वेषक और ज्येष्ठ आर्थिक अन्वेषक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1):—इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और सहकारिता विभाग (ज्येष्ठ आर्थिक अन्वेषक और ज्येष्ठ सांख्यिकीय अन्वेषक) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ आर्थिक अन्वेषक	3* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	1640-60-2600 द०रो०-75-2900 रुपये	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के	लागू नहीं होगा।

	7
	लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या वाणिज्य में मास्टर डिग्री या समतुल्य। (ii) आर्थिक अनुसंधान या आर्थिक समस्याओं के अन्वेषण का दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय :— आर्थिक विश्लेषण और सचिवीय कार्य का अनुभव। टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां* *स्तम्भ 12 के अधीन उपवर्णित सीमा तक।	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
66.67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण। 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : आर्थिक अन्वेषक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र या वाणिज्य विषय सहित डिग्री है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 1400-2300/2600 रुपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर/

	12
	बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण, जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन)—अध्यक्ष 2. संबंधित प्रभाग का उप-सचिव—सदस्य 3. प्रशासन का भारसाधक निदेशक या उप सचिव—सदस्य 4. अवर सचिव (प्रशासन)—सदस्य टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ सांख्यिकीय अन्वेषक	12* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	1640-60-2600-द०रो०-75-2900 रुपये	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
					चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यकी या गणित में (सांख्यकी सहित) मास्टर डिग्री या समतुल्य . (ii) संग्रहण, संकलन और सांख्यकीय आंकड़ों के निर्वचन से संबंधित सांख्यकीय कार्यों में दो वर्ष का अनुभव । वांछनीय : सांख्यकीय आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन तथा सचिवीय कार्य का अनुभव । टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुविहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां (स्तम्भ 12 के अधीन उपवर्णित सीमा तक।)	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।
11	12
33.33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा। 66.6 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसा सांख्यकीय अन्वेषक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की गणित या सांख्यकी विषय सहित डिग्री या समतुल्य है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 1400-2300/2600 रुपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास स्तम्भ 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उस या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर/बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष

	12
	से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण, जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन)—अध्यक्ष 2. संबंधित प्रभाग का उप सचिव—सदस्य 3. प्रशासन का भारसाधक निदेशक या उप सचिव—सदस्य 4. अवर सचिव (प्रशासन)—सदस्य टिप्पणी :—सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से पर मर्श करना आवश्यक है।

[फा०सं० 12018/2/86-प्र०-IV]

वि०एस० ठकराल, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 10th February, 1995

G.S.R. 96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Food and Agriculture (Recruitment to Technical Non-gazetted Group 'B' and 'C' Posts) Rules, 1959, in so far as they relate to the post of research Investigator (Statistics and Economics) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Statistical Investigator and Senior Economic Investigator in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Department of Agriculture and Cooperation (Senior Economic Investigator and Senior Statistical Investigator) Recruitment Rules, 1995.

2. Number of posts, classification and scale of pay :—The lication in the Official Gazettee.

2. Number of posts, classification and scale of pay :—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc. :—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications—No person—

(1) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(2) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Senior Economic Investigator	3* (1995) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900/-	Selection

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
6	7
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunacal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi-sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
8	9
Essential : (i) Master's Degree in Economics or Commerce from a recognised University or equivalent. (ii) Two years experience of Economic Research or Investigation of Economic problems. Desirable : Experience of Economic Analysis and secretarial work. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : No Educational Qualifications : Yes* *To the extent indicated under column 12

Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer is to be made
10	11	12
Two Years	66.67% by promotion, failing which by transfer on deputation. 33.33% by transfer on deputation failing which by direct recruitment.	Promotion : Economic Investigator with 5 years regular service in the grade and possessing a Degree with Economics or Commerce as a subject from a recognised University or equivalent. Transfer on Deputation : Officers of the Central Government (a) (i) holding analogous posts on regular basis or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300/- 2600/- or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed under column 8.

	12
	The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 (Three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee 1. Joint Secretary (Administration)—Chairman 2. Deputy Secretary of the Division concerned—Member 3. Director or Deputy Secretary incharge of Administration—Member 4. Under Secretary (Administration)—Member Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Union Public Service Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

1	2	3	4	5
2. Senior Statistical Investigator	12* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-gazetted Non-Ministerial	Rs. 1640-60-2600-EE-75-2900/-	Selection

6	7
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Not applicable

8	9
Essential : (i) Master's Degree in Statistics or Mathematics (with Statistics) from a recognised university or equivalent. (ii) Two years experience in Statistical work involving collection, compilation and interpretation of Statistical Data. Desirable : Experience of analysis and interpretation of Statistical data and experience of secretarial work. Note 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage	Age : No Educational Qualifications : Yes* *(to the extent indicated under column 12)

	of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

10	11	12
Two years	33.33% by Promotion failing which by transfer on deputation. 66.67% by transfer on deputation failing which by direct recruitment.	Promotion : Statistical Investigator with 5 years regular servicein the grade and possessing a Degree with Mathematics or Statistics from a recognised University or equivalent. Transfer on Deputation : Officers of the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300/2600, equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed under column 8. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee 1. Joint Secretary (Administration)—Chairman 2. Deputy Secretary of the Division Concerned—Member 3. Director or Deputy Secretary incharge of Administration—Member 4. Under Secretary (Administration)—Member Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If however, these are not approved by the Union Public Service Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[File No. 12018/2/86-Estt. IV]
V.S. THAKRAL, Under Secy.

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 97.—विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा (1)(ख) के साथ पठित विश्वविद्यालय की संविधि की संविधि 26 के खंड (1) के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड दिनांक 22 मार्च, 93 की बैठक में परीक्षा के आयोजन तथा विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन अध्यादेश के खंड 5(1) के उपखंड (क) से (घ) में संशोधन/परिवर्धन करता है। उक्त अध्यादेश के खंड 5(1) को संशोधन के पश्चात् निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए :—

(क) प्रबंध पाठ्यक्रम के सभी डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम तथा अन्य सभी डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के संबंध में सतत मूल्यांकन तथा सत्रांत परीक्षा दोनों में विद्यार्थी के कार्य-निष्पादन को अक्षरों की श्रेणी में दर्शाया जाएगा। ये श्रेणियां इस प्रकार हैं :—

क—उत्कृष्ट
ख—बहुत अच्छा
ग—अच्छा
घ—संतोषजनक
च—असंतोषजनक

(ख) स्नातक स्तर के कार्यक्रम, कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक, विज्ञान स्नातक के अतिरिक्त किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने तथा संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र को अर्हता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर श्रेणी "ग" प्राप्त करनी होगी, बशर्ते कि उसने सतत मूल्यांकन या सत्रांत परीक्षा में से किसी में भी श्रेणी "घ" से कम श्रेणी प्राप्त न की हो।

(ग) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक, कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक, विज्ञान स्नातक के कार्यक्रमों के लिए सतत मूल्यांकन एवं सत्रांत परीक्षा में विद्यार्थी के कार्य-निष्पादन की श्रेणियों को अंकों में निम्नानुसार दर्शाया जाएगा।

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक :

प्रथम श्रेणी--60% और अधिक
द्वितीय श्रेणी--50%--59%
सफल--40%--49%
असफल--40% से कम

कला स्नातक/वाणिज्य स्नातक/विज्ञान स्नातक के लिए :

प्रथम श्रेणी--60% और अधिक
द्वितीय श्रेणी---50%--59%
सफल--35%--49%
असफल--35% से कम

बशर्ते कि उपरोक्त उप-खंड (क) के अनुसार अंक विवरण/श्रेणी कार्ड में अंक एवं उसके समतुल्य अक्षर श्रेणी दर्शाई जाए।

(ख) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक, कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक, विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रमों के सत्रीय कार्य तथा सत्रांत परीक्षा के उत्तर आलेख के मूल्यांकन के तरीके अकादमिक परिषद के अनुमोदन से समय-समय पर मूल्यांकन कर्ताओं के मार्ग दर्शन हेतु निर्धारित किए जाएंगे।

[सं. आईजी/एडमिन (जी)/ओ आर डी/8/92)]

दिनेश चन्द्र पंत, कार्यकारी कुलसचिव

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 17th February, 1995

G.S.R. 97.—In exercise of the powers conferred on it under the provisions of Clause (1) of Statute 26 of the Statutes of the University, read with Section 26 (1) (b) of the University Act, the Board of Management of the Indira Gandhi National Open University, at its meeting held on March 22, 1993 made an amendment/addition to the sub-clauses (a) to (d) of Clause (5) (1) of the Ordinance on Conduct of Examinations and Evaluation of Student Performance.

Clause 5(1) of the said Ordinance after the amendment will read as follows :—

(a) The levels of student performance, both in continuous evaluation as well as at term end examinations, in respect of all degree/diploma programmes in Management, and all other Diploma and Certificate programmes will be indicated in letter grades. These grades are :

A—Excellent
B—Very Good
C—Good
D—Satisfactory
E—Unsatisfactory

(b) Except for the Bachelor's degree programmes of B.A., B.Com., and B.Sc., for the successful completion of a course and to qualify for the relevant degree/diploma/certificate a student has to obtain an overall average of grade 'C' in the relevant course, provided that he/she does not obtain a grade lower than 'D' either in continuous evaluation or in term-end examination.

(c) The Student performance, both in continuous evaluation as well as at term-end examinations for the programmes of BLIS, BA, B.Com and BSc. will be in numerical marking as indicated below :

For BLIS :

I Division	60% & More
II Division	50% -- 59%
Pass	40% — 49%
Unsuccessful	Below 40%

For BA/B Com/BSc :

I Division	60% & more
II Division	50% — 49%
Pas	35% — 49%
Unsuccessful	Below 35%

Provided that the marks statement/grade cards may reflect both marks as well as their equivalent letter grades as specified at sub-clause (a) above.

(d) The mechanics of evaluation of assignments and answer scripts of the term-end examinations for the programmes of Bachelor in Library and Information Science (BLIS), Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Commerce (BCom) and Bachelor of Science (BSc), shall be laid down in the form of guidelines for evaluators, with the approval of the Academic Council from time to time.

[No. IG/ADMN (G)/ORD.8/92]
D. C. PANT, Registrar (Acting)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1995

सा. का. नि. 98.—विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26(1)(ख) के साथ पठित विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 26 के खंड (1) के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड, दिनांक 25 नवम्बर, 94 को हुई अपनी बैठक में परीक्षा के आयोजन और विद्यार्थी के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के अध्यादेश के खंड (5) के उप खंड (1) और (3) में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्द्धन करता है।

1. उक्त अध्यादेश के खंड (5) के उपखंड (1)(ख) को संशोधन/परिवर्द्धन के बाद निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा :—

1(ख). स्नातक स्तरीय कार्यक्रमों कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक, विज्ञान स्नातक और दूर शिक्षा पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के अतिरिक्त किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने और संबद्ध उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र को अर्हता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित पाठ्यक्रम में कुल औसत की श्रेणी "ग" प्राप्त करनी होगी, बशर्ते कि उसने सतत मूल्यांकन या सत्रांत परीक्षा में श्रेणी "घ" से कम श्रेणी न प्राप्त की हो।

2. निम्नलिखित उप खंड 1(च) को उक्त अध्यादेश के खंड (5) के उप खंड 1 (घ) के बाद जोड़ा जाएगा :—

1(च). दूर शिक्षा पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन के मानदंड और रीति नीचे लिखे अनुसार होगी :—

(i) दूर शिक्षा स्टाफ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान प्रति वर्ष भारत के अन्यत्रा अन्य देशों के दूर शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के विद्यार्थियों तथा दूर शिक्षा में कला निष्णात (एम ए डी ई) के सभी विद्यार्थियों में से जून और दिसम्बर की सत्रांत परीक्षा के लिए क्रमशः अप्रैल और अक्तूबर के प्रथम सप्ताह तक पात्र अभ्यार्थियों को नामित करेगा। पात्रता का निर्णय सत्रीय कार्य, आवधिक पत्र और/या कोई अन्य प्रकार का शैक्षणिक अभ्यास जो संबंधित सत्रांत परीक्षा के लिए मार्च 31 और सितम्बर 30 तक समय-समय पर निर्धारित किया गया हो, के आधार पर किया जाएगा।

(ii) क्रमशः जून और दिसम्बर की सत्रांत परीक्षाओं के पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का परिणाम प्राप्त करने के लिए परियोजना रिपोर्ट जहां लागू हो, क्रमशः मई 31 और नवम्बर 30 तक जमा करवा दें।

(iii) किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सतत मूल्यांकन में कम से कम औसत श्रेणी "घ" और उसके बाद होने वाली सत्रांत परीक्षा में कम से कम श्रेणी "ग" होनी चाहिए। किसी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मुख्य/विशिष्ट कार्यक्रम सहित सभी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(iv) विद्यार्थी एक समय में (सत्रांत परीक्षा के सत्र के दौरान) अधिक से अधिक पांच पाठ्यक्रमों अर्थात् 30 क्रेडिट में बैठ सकेगा।

(v) कोई भी विद्यार्थी जिसने किसी एक कार्यक्रम में प्रवेश लिया हो, सत्रांत परीक्षा में तब ही बैठ सकेगा, यदि उसने उस कार्यक्रम में पूरा शैक्षणिक वर्ष, साथ ही निर्धारित संख्या में सत्रांत कार्य सत्रीय पत्र आदि पूरे किए हों।

(vi) किसी डिप्लोमा या उपाधि को प्राप्त करने के लिए उस कार्यक्रम से संबंधित नियमों के अनुसार उस की सभी आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

(ये संशोधन 1 जनवरी 1995 से लागू होंगे)।

3. उक्त अध्यादेश के खंड (5) में निम्नलिखित उपखंड (3) को जोड़ा जाए :—

(i) किसी विशेष विषय को मुख्य विषय के रूप में लेकर कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को उस विषय से संबंधित प्रयोजन मूलक पाठ्यक्रम के विषयों सहित 48 क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

(ii) जो अभ्यर्थी अपेक्षित 48 क्रेडिट नहीं प्राप्त करते हैं, उन्हें कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक या विज्ञान स्नातक, जो भी कार्यक्रम हो, उसमें स्नातक उपाधि बिना मुख्य विषय के दी जा सकती है।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी जब भी अपेक्षित 48 क्रेडिट प्राप्त कर लेंगे तो उनकी डिग्री संबंधित मुख्य विषय के साथ बदल कर प्रदान की जाए।

[सं आईजी/एडमिन (जी)/ओ आर डी 8/92]

दिनेश चन्द्र पंत, कार्यकारी कुलसचिव

New Delhi, the 17th February, 1995

G.S.R. 98.—In exercise of the powers conferred on it under the provisions of Clause (1) of Statute 26 of the Statutes of the University, read with Section 26 (1) (b) of the University Act, the Board of Management of the Indira Gandhi National Open University, at its meeting held on November 25, 1994 made an amendment/addition to the provisions of sub-clauses (1) and (3) of Clause (5) of the Ordinance on Conduct of Examinations and Evaluation of Student Performance as indicated below :

1. Sub-Clauses (1)(b) of Clause (5) of the said Ordinance after the amendment/addition will read as follows :—

1(b) Except for the Bachelor's degree programmes of B.A. B.Com., and B.Sc and the Distance Education courses/programmes, for the successful completion of a course and to qualify for the relevant degree/diploma/certificate, a student has to obtain an overall average of grade 'C' in the relevant course, provided that he/she does not obtain a grade lower than 'D' either in continuous evaluation or in term and examination.

2. The following Sub-clause (1)(e) will be added after sub-clause (1)(d) of Clause (5) of the said Ordinance :—

(1)(e) The Evaluation criteria and policy pertaining to Distance Education courses/programmes will be as under :

(i) For PGDDE students from countries other than India and all the MADE students, STRIDE will identify the eligible candidates by the 1st week of April and the first week of October for the June and December term-end examinations respectively every year. Eligibility will be decided on the assignment-responses, form papers and/or completion of any other type of academic exercises prescribed from time to time by March 31 and September 30 for the respective term-end examinations.

(ii) Project reports, whatever applicable, should have been submitted latest by May 31 and November 30 to claim course/programme results with the June and December term-end examinations respectively.

(iii) To complete a course successfully one needs to pass the continuous assessment with at least an average grade "D" and the corresponding term-end examination with at least a grade "C". To complete a programme successfully one must pass all the courses comprising the programme individually.

(iv) At a time (i.e., during a term-end examination session) a student may sit for at the most five courses (i.e., 30 credits).

(v) A candidate admitted to a programme can sit for the term-end examination only after completing the full academic year on the programme as well as the prescribed number of assignments, term papers etc., for it.

(vi) To claim a diploma or a degree one must have completed successfully all the requirements pertaining to the programme concerned in accordance with the respective regulations.

(These amendments will be effective from 1st January, 1995.)

3. The following Sub-Clause (3) be added to Clause (5) of the said ordinance :—

(i) to qualify for the award of BA/BCom/BSc degree with a particular subject as major, a candidate should obtain 48 credits including those in application oriented courses relevant to that subject;

(ii) those candidates who have not secured the requisite 48 credits may be awarded the Bachelor's Degree in Arts, Commerce or Science, as the case may be, without specifying any subject as major;

(iii) as and when such candidates secure the requisite 48 credits, the degrees awarded to them may be converted into those with the relevant subject as major.

[No. IG/ADMN(G)/ORD 8/92]
D. C. PANT, Registrar (Acting)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 99—विश्वविद्यालय अधिनियम के खंड 26 (1) (ए) के साथ पठित विश्वविद्यालय संविधि की संविधि 26 के खंड (1) में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 1991 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित अध्यादेश बनाए हैं :

दर्शन-निष्णात (एम.फिल.) के संबंध में अध्यादेश

1. प्रचालनात्मक निकाय/एकक :

1. विद्यापीठ इत्यादि :

दर्शन-निष्णात की उपाधि विश्वविद्यालय के घटक, किसी भी विद्यापीठ एवं अन्य संस्थान, स्वायत्त या अन्यथा द्वारा प्रदान की जा सकती है।

2. अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड :

शैक्षणिक परिषद के सामान्य दिशा-निर्देशों के अंतर्गत दर्शन-निष्णात (एम.फिल.) उपाधि से संबंधित शोध-अध्ययन की व्यवस्था अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड द्वारा शोध के प्रमुख विषय उसकी किस्म एवं उद्देश्यों की पहचान करके की जाएगी ताकि विश्वविद्यालय अपने उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ हो सके और यह कार्य इं.गां.रा.मु.वि. की उपसमितियों एवं शोध समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

3. शोध उप-समितियां :—

प्रत्येक विद्यापीठ में एक शोध उप-समिति का गठन किया जाएगा जिसकी बनावट इस प्रकार होगी :

1 विद्यापीठ के निदेशक

2 विद्यापीठ में कार्यरत प्रोफेसर

iii अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड के बाह्य सदस्य

iv विद्यापीठ के दो रीडर कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे ।

v शोध कार्य की प्रकृति के आधार पर कुलपति द्वारा दूर शिक्षा प्रभाग, क्षेत्रीय सेवा प्रभाग एवं/अथवा संचार प्रभाग से प्रोफेसर/रीडर श्रेणी के अधिकतम दो सदस्य प्रत्येक विषयानुसार नामित किए जाएंगे ।

प्रत्येक उप-समिति में विद्यापीठ के प्रोफेसरों में से अध्यक्ष नियुक्त होंगे, जिनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा (जैसा कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अपनी नियुक्ति की तारीख से होता है) । अध्यक्ष पद वरिष्ठतम प्रोफेसर से शुरू होकर क्रम बद्ध रूप (रोटेशन) से अन्य प्रोफेसरों तक जाएगा । कुल सदस्यों के 50% से उप-समिति का कोरम पूरा माना जाएगा जिसमें कम से कम दो बाह्य सदस्य होने आवश्यक हैं ।

4 शोध समिति :—

इ.गां.रा.मु.वि. की शोध समिति, कुलपति द्वारा नामित सम-कुलपति की अध्यक्षता में कार्य करेगी । इसकी संरचना इस प्रकार होगी :

i शोध उप-समिति के अध्यक्ष

ii विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यापीठों से कुलपति द्वारा नामित तीन प्रोफेसर

iii कुलपति द्वारा नामित निम्नलिखित प्रभागाध्यक्षों में से तीन
प्रोफेसर
दूर शिक्षा
संचार
प्रवेश
मूल्यांकन
एवं
क्षेत्रीय सेवाएं

iv कुलपति द्वारा तीन बाह्य विशेषज्ञ नामित किए जाएंगे । ऐसी व्यवस्था की गई है कि सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष तक अपने पदों पर बने रहेंगे एवं समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक का आयोजन करेगी । इस समिति के 50% सदस्यों से कोरम पूरा हो जाएगा । यह प्रावधान भी है कि शोध समिति की सिफारिशें अंतिम अनुमोदन के लिए कुलपति के पास भेजी जाएंगी ।

5. प्रवेश प्रभाग एवं मूल्यांकन प्रभाग

प्रवेश प्रक्रिया का कार्य प्रवेश प्रभाग द्वारा आरंभ किया जाएगा एवं मूल्यांकन तथा प्रमाणन का प्रबंध, मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जाएगा ।

II विद्यार्थी संबंधी

6. पात्रता :

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अध्ययन क्षेत्र में इस उद्देश्य हेतु अधिसूचित इसके समकक्ष कोई अन्य शैक्षिक योग्यता प्राप्त उम्मीदवार दर्शन-निष्णात में प्रवेश का पात्र होगा । बशर्ते कि उसने इन पाठ्यक्रमों में कम से कम 55% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 50%) अंक अथवा इसके समकक्ष श्रेणी प्राप्त की हो । विश्वविद्यालय के आंतरिक अभ्यर्थियों के मामले में उम्मीदवार ने आवेदन पत्र जमा करने की तारीख को दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।

7. दर्शन-निष्णात छात्रों की श्रेणियां एवं शोध-स्थान :—

दर्शन-निष्णात छात्रों की तीन श्रेणियां होंगी : (1) पूर्णकालिक (2) अंशकालिक (आंतरिक) (3) अंशकालिक (बाह्य) ।

1. पूर्णकालिक छात्र : इस विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त सभी छात्र जो पूर्णकालिक अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे । वे अपनी परियोजनाओं पर काम या तो विश्वविद्यालय के मुख्यालय या विश्वविद्यालय के किसी भी क्षेत्रीय केन्द्र में कर सकते हैं ।

2. अंशकालिक (आंतरिक) छात्र : सभी प्रवेश प्राप्त छात्र जो इस विश्वविद्यालय के मुख्यालय के किसी भी एकक या इसके क्षेत्रीय केन्द्रों में नियुक्त है, और सेवारत अवधि के दौरान उपाधि के लिए काम कर रहे हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे । वे अपनी शोध परियोजनाओं का कार्य अपनी नियुक्ति-स्थान पर ही करेंगे किन्तु साथ ही इस हेतु आवश्यकतानुसार मुख्यालय पर भी कार्य करेंगे ।

3. अंशकालिक (बाह्य) छात्र : सभी प्रवेश प्राप्त छात्र जो देश के अन्य विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय/राज्य प्रयोगशालाओं, और एंड ही संगठनों इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों एवं इस विश्वविद्यालय ने अंशकालिक शोध कार्य करने के लिए इन संगठनों द्वारा नामित से छात्र जो सेवारत हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे । इस श्रेणी के छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने कार्य-स्थल पर ही उपाधि के लिए काम करेंगे । उन्हें इस विश्वविद्यालय के संबंधित संकाय के पर्यवेक्षक तथा उस संगठन के एक पर्यवेक्षक या उनके कार्य-स्थल से समीप होने पर इ.गां.रा.मु.वि. के क्षेत्रीय केन्द्र के एक संयुक्त पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में काम करना होगा ।

III प्रवेश

8 प्रवेश के लिए आवेदन :

दर्शन-निष्णात कार्यक्रम के लिए आवेदन निर्धारित फार्म में किया जाए तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार इसे कुलसचिव, प्रवेश, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068 के पास भेजा जाए । तत्पश्चात् संबंधित विद्यापीठ द्वारा प्रवेश पर कार्रवाई की जाएगी, इसे शोध उप-समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा तथा शोध समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

—कार्यक्रम के लिए प्रवेश लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार अथवा इस उद्देश्य के लिए संबंधित विद्यापीठ द्वारा निर्धारित पूर्व शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा ।

किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आई आई टी, सी एस आई आर तथा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा आयोजित सामान्य परीक्षा के आधार पर अभ्यैतावृत्ति प्राप्त उम्मीदवार को इस अध्यादेश के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठे बिना सीधे ही दर्शन-निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है ।

9. प्रवेश प्राधिकारी

दर्शन-निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश तथा पुनः प्रवेश संबंधित शोध समिति तथा शोध उप-समिति की सिफारिशों पर कुलपति द्वारा दिया जाएगा । कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसी सेवारत कर्मचारी के प्रवेश को संबंधित शोध समिति तथा शोध उप-समिति की सिफारिशों पर अधिकतम एक अकादमिक वर्ष के लिए आस्थगित रखा जा सकता है ।

10. पुनः प्रवेश —

इस अध्यादेश के खंड 13.2 (ii) में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रवेश की तारीख से चार वर्ष के भीतर शोध-निबन्ध प्रस्तुत न करने पर छात्र का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा । परन्तु प्रवेश रद्द छात्र द्वारा अनुरोध करने पर शोध समिति छात्र को पुनः प्रवेश देने पर विचार और सिफारिश कर सकती है । छात्र को उसके पूर्व प्रवेश के रद्द होने की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए पुनः प्रवेश तभी दिया जा सकता है, जब संबंधित पर्यवेक्षक एवं शोध उप-समिति इसके लिए सिफारिश करे ।

11. कार्यक्रम शुल्क :

कार्यक्रम शुल्क के अंतर्गत प्रवेश शुल्क, प्रारंभिक कार्य शुल्क, मूल्यांकन शुल्क तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अन्य शुल्क शामिल होंगे जो वार्षिक आधार पर लिए जाएंगे । खंड 10 के अंतर्गत पुनः प्रवेश प्राप्त छात्रों को सम्पूर्ण शुल्क अदा करना होगा ।

IV दर्शन-निष्णात कार्यक्रम

12. दर्शन-निष्णात कार्यक्रम का संरचना :

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के दर्शन-निष्णात कार्यक्रम को विद्यार्थी के अध्ययन घंटों में पूर्णकालिक के समकक्ष गिना जाएगा, जिसमें 30–60 क्रेडिट होंगे ।

(i) इसके अंतर्गत 30 क्रेडिट होंगे जिसमें कोई भी प्रारंभिक कार्य नहीं होगा तथा परीक्षाफल शोध-निबंध के आधार पर घोषित किया जाएगा ।

(ii) इसके अंतर्गत अधिकतम 60 क्रेडिट होंगे जिसमें शोध निबंध के अतिरिक्त प्रारंभिक कार्य होगा परन्तु किसी भी स्थिति में प्रारंभिक कार्य 30 क्रेडिट से अधिक नहीं होगा और छात्र प्रारंभिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही शोध-निबंध पर कार्य कर सकेगा ।

13. दर्शन निष्णात कार्यक्रम की समयावधि :—

13.1 न्यूनतम और अधिकतम समयावधि :

पूर्णकालिक छात्रों के लिए खंड 7 (i) कार्यक्रम पूरा करने की न्यूनतम और अधिकतम समयावधि क्रमशः एक और तीन वर्ष होगी, जिसकी गिनती कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से की जाएगी । अंशकालिक छात्रों के लिए खंड 7(ii) और (iii) कार्यक्रम पूरा करने की न्यूनतम और अधिकतम समयावधि क्रमशः दो और चार वर्ष होगी, जिसकी गिनती कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से की जाएगी । किन्तु यदि किसी विद्यार्थी से किसी पाठ्यक्रम कार्य, क्षेत्र अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य या कोई अन्य कार्य अपेक्षित है, तो निर्धारित अवधि को न्यूनतम एक वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है ।

13.2 अधिकतम समयावधि का विस्तार :

(i) विशिष्ट परिस्थितियों में, संबंधित पर्यवेक्षक एवं शोध उप-समिति की सिफारिशों और कुलपति की अनुमति से उम्मीदवार को शोध-निबंध प्रस्तुत करने के लिए तीन/चार वर्ष की सामान्य अधिकतम समयावधि के अतिरिक्त एक वर्ष की रियायत अवधि प्रदान की जा सकती है ।

(ii) यदि अतिरिक्त दी गई एक वर्ष की समयावधि में छात्र अपना शोध निबंध प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और उसका नाम नामावली से काट दिया जाएगा ।

14. शोध कार्य का पर्यवेक्षण :

14.1 पर्यवेक्षण :

(i) सभी दर्शन-निष्णात छात्रों को ऐसे मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में काम करना होगा, जो विश्वविद्यालय के संकाय का सदस्य होगा ।

(ii) अंशकालिक (बाह्य) छात्रों को इस अध्यादेश के खंड 7(iii) के अनुसार संगठन के मान्यता प्राप्त संयुक्त पर्यवेक्षक अथवा छात्र के कार्य-स्थल के समीप के इ.गां.रा.मु.वि., क्षेत्रीय केन्द्र के पर्यवेक्षक के अधीन कार्य करना होगा ।

(iii) पूर्णकालिक तथा अंशकालिक (आंतरिक) उम्मीदवारों के लिए नितान्त आवश्यक होने पर संयुक्त पर्यवेक्षक की सिफारिश संबंधित शोध उप-समिति द्वारा की जाएगी ।

(iv) दर्शन-निष्णात उपाधि कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को अपने पर्यवेक्षक/संयुक्त पर्यवेक्षक से संपर्क करने के लिए शोध उप समिति द्वारा प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित समय सुनिश्चित करना होगा ।

14.2 पर्यवेक्षक की शैक्षिक योग्यता :—

शोध कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए पर्यवेक्षकों एवं संयुक्त पर्यवेक्षकों के नाम अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिए जाएंगे जिस पर अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड सिफारिश करेगा । बशर्ते कि संबंधित आवेदकों के पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं हों :

(i) वे जिस विषय में छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, उनके पास उस विषय या उससे संबंधित विषय में पी.एच.डी. की उपाधि,

(ii) अध्यापन/अध्ययन सामग्री निर्माण/अकादमिक परामर्श तथा शोध कार्य में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव,

(iii) संबंधित छात्रों के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष पूर्व की अवधि में समीक्षा/मानक पत्र-पत्रिका में कम से कम तीन लेख प्रकाशित हों ।

14.3 प्रत्येक पर्यवेक्षक के अंतर्गत छात्रों की संख्या :—

एक पर्यवेक्षक एक समय में सामान्यतया अधिकतम दो दर्शन-निष्णात छात्रों का मार्ग दर्शन कर सकता है ।

15. प्रारंभिक कार्य :

अधिकांश मामलों में यह व्यवस्था है कि वह छात्रों को शोध-निबंध कार्य प्रारंभ करने से पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी । इस प्रकार के कार्य में निम्नलिखित में से कोई भी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है :

(i) किसी निर्धारित कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम(मों) में सफलता-पूर्वक कार्य करना,

(ii) किसी अध्ययन कार्यक्रम पर कार्य करना तथा इस पर आधारित बोधात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करना,

(iii) निर्धारित/शोध प्रयोगशाला कार्य पूर्ण करना,

(iv) निर्धारित/शोध से संबंधित क्षेत्र-अध्ययन पूरा करना,

(v) यदि निर्धारित हो तो आवासीय अपेक्षाएं पूरी करना ।

सभी मामलों में इस प्रकार के प्रारंभिक कार्य को प्रवेश-तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा करना होगा ।

इसके अतिरिक्त इस प्रकार के प्रारंभिक कार्य संबंधित अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड के मार्ग-निर्देशन के अंतर्गत संबंधित शोध उप-समिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे जिसे विश्वविद्यालय की शोध समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा । यह व्यवस्था भी है कि जहां कहीं इस प्रकार का प्रारंभिक कार्य अनावश्यक समझा जाएगा, वहां संबंधित अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड के मार्ग-निर्देशन के अंतर्गत संबंधित शोध उप-समिति इस आशय का एक विवरण तैयार करेगी, जिसे विश्वविद्यालय की शोध समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ।

16. छात्रों की प्रगति का अनुवीक्षण :

(i) प्रवेश की तारीख से प्रारंभ करते हुए, छात्र आवधिक रूप से (छः महीने में एक बार) निर्धारित प्रारूप में अपनी प्रगति-रिपोर्ट अपने पर्यवेक्षक (कों) को प्रस्तुत करेगा, जो इस पर अपनी टिप्पणी तथा किए गए कार्य का आकलन करके समीक्षा के लिए शोध उप-समिति के माध्यम से शोध समिति को भेजेगा ।

(ii) पर्यवेक्षक और/अथवा संयुक्त पर्यवेक्षक किसी छात्र के कार्य को प्रस्तुत करने के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें संकाय सदस्य, शोध अध्येता तथा इस क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करने वाले भी भाग ले सकते हैं ।

(iii) ऐसे छात्र जिनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है अथवा जो दर्शन निष्णात कार्यक्रम के लिए दी गई अधिकतम समयावधि में कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं, उनका प्रवेश अकादमिक परिषद द्वारा रद्द कर दिया जाएगा ।

17. शोध-निबंध प्रस्तुति :

(i) सामान्यतया परिशिष्ट और संदर्भ को छोड़कर मुख्य शोध-निबंध मानक आकार के 150 पृष्ठों से अधिक का नहीं होना चाहिए । प्रस्तुत किए गए प्रत्येक शोध निबंध में पर्यवेक्षक (कों) द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र पारंपरिक प्रकार की प्रस्तावना होनी आवश्यक है परन्तु किसी प्रकार का भ्रमपूर्ण नहीं होना चाहिए । जिन मामलों में प्रारंभिक कार्य नहीं है, उनमें मुख्य शोध-निबंध परिशिष्ट एवं संदर्भ को छोड़कर 250 मानक पृष्ठों से अधिक का नहीं होना चाहिए।

(ii) खंड 17 (i) में दी गई व्यवस्थानुसार पर्यवेक्षक (कों) द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि शोध-निबंध, छात्र द्वारा पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण एवं मार्ग-दर्शन में किए गए वास्तविक शोधकार्य का रिकार्ड है और यह कार्य किसी अन्य उपाधि या डिप्लोमा के लिए अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(iii) शोध-निबंध व्यवस्थित और विद्वतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा, जो विद्यार्थी के मौलिक शोधकार्य का वृत्तांत होगा, जिसमें पूर्व ज्ञात तथ्यों के सहसंबंध या उपयुक्त सामान्यीकरण की प्रमुखता रहेगी (विश्लेषणात्मक, प्रयोगात्मक, हाईपेथेसर मूलक आदि) या जो शैक्षिक संप्रेषण की गुणवत्ता का प्रदर्शन करने वाली संशोधित/बेहतर तकनीक प्रस्तुत कर सके ताकि ज्ञान और/या शैक्षिक संप्रेषण की उन्नति में उसका निर्णायक योगदान हो सके और जो छात्र की निरंतर शोध करने, निष्कर्षों को उचित ढंग से प्रस्तुत करने तथा नए ढंग से शैक्षिक संप्रेषण में योगदान करने की क्षमता को प्रमाणित कर सके ।

(iv) खंड 16 (i) में निर्धारित किए गए प्रारूप एवं विनिर्देशानुसार शोध-निबंध की चार प्रतियां बनाई जाएंगी । इनमें से तीन प्रतियां संबंधित विद्यापीठ के निदेशक के माध्यम से मूल्यांकन प्रभाग को भेजी जाएंगी ।

(v) लगभग 500 शब्दों में लिखे गए शोध निबंध के सार की तीन प्रतियां शोध-निबंध जमा कराने की नियत तारीख से कम से कम एक महीने पूर्व शोध उप-समिति को जमा कराई जाएं जिससे परीक्षक की नियुक्ति करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

(vi) शोध-निबंध जमा कराने से पूर्व शोध-परिणाम प्रकाशित किया जा सकता है । इस प्रकार के प्रकाशन को शोध-निबंध के परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है ।

V. मूल्यांकन

18. प्रारंभिक कार्य का मूल्यांकन :

प्रत्येक शोध उप-समिति अपने से संबंधित विद्यापीठ के माध्यम से प्रवेश प्राप्त छात्रों के लिए निर्धारित किए गए प्रारंभिक कार्य का मूल्यांकन करने हेतु एक योजना तैयार करेगी किन्तु शर्त यह होगी कि छात्र का प्रारंभिक कार्य सफलतापूर्वक तभी पूरा माना जाएगा, जब वह प्रारंभिक कार्य के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्य में कम से कम "सी" ग्रेड (पांच अंकों के स्केल में आंकने पर) अथवा अधिकतम अंकों का 55% प्राप्त करता है ।

19. शोध-निबंध का मूल्यांकन :

(i) शोध-निबंध का मूल्यांकन करने के लिए दो परीक्षक होंगे— एक संबंधित पर्यवेक्षक तथा एक बाह्य परीक्षक जो विश्वविद्यालय का अधिकारी न हो । दो पर्यवेक्षक होने की स्थिति में, विश्वविद्यालय संकाय का सदस्य परीक्षकों में से एक परीक्षक का कार्य करेगा ।

(ii) शोध उप-समिति द्वारा प्रस्तावित तथा शोध समिति द्वारा पृष्ठांकित कम से कम आठ नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित किसी एक बाह्य परीक्षक को शोध-निबंध भेजा जाएगा, परन्तु यदि कुलपति आवश्यक समझें, तो पैनल के बाहर से भी परीक्षकों को नामित कर सकते हैं ।

(iii) परीक्षकों से उम्मीद की जाती है कि वे शोध-निबंध प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट भेज दें ।

(iv) प्रत्येक परीक्षक अपनी रिपोर्ट में परियोजना का सम्पूर्ण मूल्यांकन कर, परियोजना को निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी में रख सकता है :

(क) दर्शन-निष्णात उपाधि प्रदान करने की सिफारिश की जाती है : प्रशंसनीय/अति प्रशंसनीय

(ख) संशोधन की आवश्यकता है तथा पुनः प्रस्तुत करने की सिफारिश की जाती है ।

(ग) अस्वीकृत

प्रत्येक परीक्षक 200 से 300 शब्दों की रिपोर्ट देंगे जिसमें (क) के मामले में प्राप्त स्तर, (ख) के मामले में अपेक्षित संशोधन की प्रकृति तथा (ग) के मामले में अस्वीकृति के कारण का उल्लेख होगा ।

(v) शोध समिति, परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर या तो शोध-निबंध को स्वीकार कर सकती है या इसे अस्वीकृत कर सकती है । इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाएंगे :

(क) यदि दोनों परीक्षक उपाधि प्रदान करने की सिफारिश करें तो उपाधि हेतु शोध-निबंध स्वीकार कर लिया जाएगा । यदि परीक्षक (कों) द्वारा किसी प्रकार के मामूली परिशोध, आशोधन इत्यादि का सुझाव दिया गया है तो उपाधि प्रदान करने से पूर्व उसे ठीक कर लिया जाएगा ।

(ख) यदि दोनों परीक्षक शोध-निबंध को अस्वीकृत करने की सिफारिश करें, तो शोध-निबंध अस्वीकार किया जाएगा तथा छात्र के प्रवेश को रद्द कर दिया जाएगा ।

(ग) यदि एक परीक्षक उपाधि प्रदान करने दूसरा अस्वीकृत करने की सिफारिश करे तो खंड 17 (ii) के अनुसार कुलपति द्वारा नामित तीसरे परीक्षक के पास शोध-निबंध भेजा जाएगा । यदि तीन में से दो परीक्षक उपाधि प्रदान करने की सिफारिश करते हैं, तो शोध-निबंध स्वीकार कर लिया जाएगा। यदि परीक्षकों में से दो परीक्षक अस्वीकृत करने की सिफारिश करें तो शोध-निबंध अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा छात्र के प्रवेश को रद्द कर दिया जाएगा ।

(घ) यदि कोई परीक्षक शोध-निबंध को परिशोधित करने की सिफारिश करते हैं, तो छात्र को सिर्फ एक बार शोध-निबंध परिशोधित करने तथा उसे छः महीने के भीतर परिशोधन की सिफारिश करने वाले परीक्षक के पास शोध निबंध पर उनकी अंतिम सिफारिश लेने के लिए पुनः जमा कराना होगा, जिसके बाद इसे या तो उपाधि प्रदान करने के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा या अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

VI कुलपति की शक्तियां

20. असुविधाओं का उपचार :

उपर्युक्त अध्यादेश में किसी बात के होते हुए भी, कुलपति विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त दर्शन-निष्णात छात्रों के संबंध में आवश्यकतानुसार उपाय कर सकते हैं ।

[सं. आई जी/प्रशा. (जी)/ओ आर डी. 10/92]

दिनेश चंद्र पंत, कार्यकारी कुलसचिव

New Delhi, the 1th February, 1995

G.S.R. 99.—In exercise of the powers conferred on it under the provisions of Clause (1) of Statute 26 of the Statutes of the University, read with Section 26 (1) (a) of the University Act, the Board of Management of the Indira Gandhi National Open University, at its meeting held on March 22, 1993 made the following ordinance :—

ORDINANCE ON MASTER OF PHILOSOPHY (M. Phil.)

I. OPERATIONAL BODIES/UNITS

1. Schools etc.

The Degree of Master of Philosophy may be granted in any School of the University and in any Institution, autonomous or otherwise, that is a constituent of the University.

2. School Boards of Studies

Subject to the general guidance of the Academic Council, research studies leading to the Degree of Master of Philosophy (M. Phil.) shall be organised by the School Boards of Studies, by way of identifying thrust areas in research, their types and purposes, with a view to strengthening the University to fulfil its objectives, through the mechanism of Research Sub-committees and the Research Committee of IGNOU.

3. Research Sub-committees

Each School shall have a Research Sub-committee constituted as follows :

i. Director of the School.

ii. Professor(s) in the School.

iii. External members of the School Board of Studies.

iv. Two Readers from the School to be nominated by the Vice-Chancellor.

v. Not more than two members in the rank of Professor/Reader from the Division of Distance Education, Regional Services Division and/or Communication Division, depending on the nature of research work, to be nominated by the Vice-Chancellor on case to case basis.

Each sub-committee shall have a chair person from among the professors of the School who shall hold office for a period of two years (as each member does from the date of his/her appointment). Beginning with the senior most professor, chairpersonship will go by rotation. 50 per cent of the total number of members shall constitute the quorum of a sub-committee of whom at least two shall be external members.

4. Research Committee

The Research Committee of IGNOU shall work under the Chairmanship of a Pro-Vice-Chancellor of IGNOU nominated by the Vice-Chancellor. It shall have the following composition.

i. Chairmen of the research sub-committees.

ii. Three Professors from various schools of IGNOU to be nominated by the Vice-Chancellor.

iii. Three of the Heads of the following Divisions nominated by the Vice-Chancellor.

Distance Education
Communication
Admission
Evaluation
and
Regional Services

iv. Three External Experts to be nominated by the Vice-Chancellor.

Provided that the members shall hold office for two years from the date of their appointment and that the committee shall meet at least two times in a year. 50 per cent of the members shall make the quorum of this Committee. Provided also that the recommendations of the Research Committee will go to the Vice-Chancellor for final approval.

5. Admission Division and Evaluation Division

The admission process shall be initiated by the Admission Division and the management of evaluation and certification will be looked after by the Evaluation Division.

II. CLIENTELE GROUPS

6. Eligibility :—A candidate who has qualified for the award of the Master's Degree of the Indira Gandhi National Open University or any other qualification recognised as equivalent thereto in fields of study notified for this purpose from time to time by this University is eligible for admission to the M.Phil. Programme provided he/she has secured at least 55% marks (50% by SC/ST candidates) or a grade equivalent thereof, at examinations leading to such a degree/qualification. Provided further that internal candidates shall have completed at least two years of service in the University on the date they submit the application.

7. Categories of M.Phil. Students and their Place of Research :—There shall be three categories of M.Phil students :

(i) Full-time (ii) Part-time (Internal); (iii) Part-time (External).

(i) Full-time Students : All the admitted students who pursue full-time study in this University shall belong to this category. They shall work on their projects either at the Headquarters or any of the Regional Centres of the University.

(ii) Part-time (Internal) Students : All the admitted students who are employed either in the vairous units of this Unit versity at Headquarters or its Regional centres and work for the Degree while continuing in their jobs shall belong to this category. They shall work on their research projects at their own places of employment, provided that they shall also work at the Headquarters as and when needed for the purpose.

(iii) Part-time (External) Students : All the admitted students who are employed in other universities of the country, National/State Laboratories, R and D Organisations, Institutions of Higher Learning approved by this University and those who are sponsored by these organisations for pursuing part-time research in this University while continuing in their jobs belong to this category. They are expected to work for the Degree in their place of employment in addition to working at the University if needed. They shall be required to have one Supervisor from the faculty of this University and a Joint Supervisor from the organisation, or an IGNOU Regional Centre if it is close to the work place(s), where they are employed.

III. ADMISSION

8. Application for Admission :

Application for admission to the M.Phil. programme should be made in the prescribed form, and sent to the Registrar Admissions, the Indira Gandhi National

Open University, Maidan Garhi, New Delhi-110068, in accordance with the advertisements released by the University from time to time. Subsequently, admissions will be processed by the School concerned, finalised by the Research Sub-Committee and approved by the Research Committee.

Admission to the programme shall be made on the basis of a written test, an interview, a written test and interview or a prior qualification recognised by the School concerned for this purpose.

Provided that a candidate who is awarded a fellowship on the basis of a common examination conducted by the UGC, IIT's, CSIR or such other body as may be approved by the University may be admitted to the M.Phil. programme directly without being required to appear at a University test provided under this ordinance.

9. Admitting Authority :—Admission and re-admission to the M.Phil. programme shall be made by the Vice-Chancellor on the recommendations made by the Research Committee and the Research Sub-committee concerned.

The admission offered to an employed candidate, for him|her to join the programme, may be held in abeyance on the recommendation of the Research Committee and the Research Sub-Committee concerned, for a maximum period of one academic years.

10. Re-admission :—A student's admission shall be cancelled if he|she fails to submit his|her dissertation within four years, provided under|clause 13.2(ii) of this ordinary from the date of his|her admission. The Research Committee may, however, consider and recommend requests for re-admission from students whose admission is cancelled. An application for re-admission, for a period not exceeding one year from the cancellation of the student's earlier admission, shall be considered only on the recommendation of the supervisor(s) and the Research Sub-committee concerned.

11. Programme Fee :—The programme fees shall be based on admission fee, fee for the preparatory work, evaluation fee and any other fees prescribed by the University from time to time, and will always be charged on annual basis. All students re-admitted under Clause 10 shall pay full fees.

IV M PHIL. PROGRAMME

12. Structure of M.Phil. Programme :—The M.Phil programme at IGNOU, reckoned in terms of full-time equivalent of student hours, shall consist of 30-60 credits.

(i) 30 credits in such cases as involve no preparatory work and the award is made on the basis of dissertation only.

(ii) A maximum of 60 credits in such cases as involve preparatory work besides the work on a dissertation, provied that the preparatory work shall not exceed 30 credits in any case and that a student shall work on a dissertation only after successfully completing the preparatory work.

13. Duration of the M.Phil. Programme

13.1 Minimum and maximum duraton :—For full-time students [Clause 7(i)] the minimum and maximum time for completing the programme shall be one and three years respectively, counted from the date of admission to the programme.

For part-time students [Clause 7(ii) and (iii)], the minimum and maximum time for completing the programme shall be two and four years respectively, counted from the date of admission to the programme.

Provided that in case a student is required to do any course work, field study, laboratory work or any other type of preparatory work the duration prescribed be extended by an additional one year at the lower limit only.

13.2 Extension of maximum duration

(i) In exceptional circumstances if the supervisor(s) concerned and the Research Sub-committee recommend and the Vice-Chancellor deems it fit, a maximum grace period of one year beyond the normal maximum period of three|four years may be granted to enable the candidate to submit the dissertation.

(ii) If a student fails to submit the dissertation within the extended period of one year, his|her admission shall be cancelled and his|her name removed from the rolls.

14. Supervision of Research Work

14.1 Supervision

(i) All M.Phil. students shall be required to work under a recognised supervisor who is a member of the faculty of the University.

(ii) In the case of part-time (external) student there shall be a recognised joint supervisor, vide Clause 7(iii) of this ordinance, from the Organisation or the IGNOU Regional Centre near the place where he|she is employed.

(iii) Joint supervisor for full-time and part-time (internal) candidates may be recommended by the Research Sub-committee concerned wherever absolutely necessary.

(iv) For the successful completion of an M.Phil. Degree Programme, a student has to ensure a minimum number of contact hours with his supervisor|joint supervisor, as may be prescribed by the Research Sub-Committee for each discipline.

14.2 Qualifications of a supervisor

Recognition to supervisors and joint supervisors for guiding research work shall be accorded by the Academic Council on application in the prescribed format and duly recommended by a School Board of Studies provided the applicant concerned possesses:

(i) a Ph.D. Degree in the relevant or allied areas of research in which he|she proposes to guide students,

(ii) at least 5 years' experience in teaching|preparation of study materials|academic-counselling and research, and

(iii) at least three publications in reviewed| standard journals during the preceding five years counted from the date a scholar is appointed as a supervisor for the student concerned.

14.3 Number of students per supervisor.—A supervisor shall not normally guide more than 2 M.Phil. students at any time.

15. Preparatory work :—It is provided that in most cases students shall be required to fulfil certain conditions before they start perparing their dissertation. Such work may take any of the following forms:

(i) Work through a prescribed programme or course(s) successfully,

(ii) work on a reading programme and clear a comprehensive examination based thereon,

(iii) complete some prescribed|exploratory laboratory work,

(iv) complete some prescribed|exploratory field study or

(v) fulfill residential requirements if prescribed.

Such preparatory work in all cases shall be completed within one year from the date of admission.

Provided further that such preparatory work shall be prescribed by the respective Research Sub-committees under the guidance of the School Board of Study concerned and recommended by the Research Committee of the University. Provided also that where such preparatory work is deemed unnecessary, a prescription to that effect shall be made by the Research Sub-committee concerned under the guidance of the School Board of study concerned and recommended by the Research Committee of the University.

16. Monitoring the Progress of Students

(i) Commencing from the date of admission a student shall submit progress reports periodically (once in six months) in the prescribed format to the supervisor(s) who shall forward them along with his| her remarks about and assessment of the work done that far to the Research Committee through the Research Sub-committee for review.

(ii) The supervisor and|or joint supervisor may arrange for a student to make a presentation of his|her work at a meeting, which is open to faculty members, research scholars and those interested in that field of enquiry.

(iii) The admission of a student whose progress is either not satisfactory or who fails to complete the programme successfully in the maximum period stipulated for the M.Phill. programme shall be cancelled by the Academic Council.

17. Submission of Dissertation

(i) Normally, the main dissertation is not expected to be more than one hundred and fifty standard pages excluding the appendices and references. Each dissertation submitted shall include a certificate issued by the supervisor(s), acknowledgements of the customary type but no dedications whatsoever. In cases where no preparatory work is involved, the main dissertation is not expected to be more than two hundred and fifty standard pages excluding the appendices and references.

(ii) The certificate issued by the supervisor(s), as prescribed vide Clause 17(i), shall state that the dissertation is a record of the bonafide research work carried out by the student under his|her supervision and guidance and that the work reported in the dissertation has not been submitted elsewhere for a degree or diploma.

(iii) The dissertation shall report, in an organised and scholarly fashion, an account of original research work of the student leading to reasonable generalizations or correlation of facts already known (analytical, experimental, hardware oriented

etc.) or present an improved|better technique of educational communication demonstrating a quality as to make a definitive contribuiton to the advancement of knowledge and|or educational communication and also the student's ability to undertake sustained research, present the findings in an appropriate manner and|or contribute to educational communication innovatively.

(iv) Four copies of the dissertation shall be prepared in accordance with the format and specification prescribed vide clause 16(i). Three of these shall be submitted to the Evaluation Division through the Director of the School concerned.

(v) Three copies of the abstract of the dissertation in about 500 words should be submitted, at least a month before the planned date of the submission of the dissertation, to the Research Sub-Committee concerned to allow reasonable time for appointing examiners.

(vi) Publication of the results of the investigation before the submission of the dissertation is permissible. Such publications shall be included as appendixes in the dissertation.

V. EVALUATION

18. Evaluation of Preparatory Work:—Each Research Sub-committee shall prescribe an evaluation scheme for the preparatory work they prescribe for the students admitted through the school concerned, subject to the condition that a student shall be considered to have completed his|her preparatory work successfully if he|she obtains at least 'C' grade (measured on a five point scale) or 55% of the maximum score in each course|task taken up under preparatory work.

19. Evaluation of Dissertation

(i) There shall be two examiners the Supervisor concerned and one external examiner who is not the employee of the University. In case there are two supervisors(the one from the University Faculty shall function as one of the examiners.

(ii) The dissretation shall be referred to the external examiner nominated by the Vice-Chanceller from the panel consisting of at least eight names proposed by the Research Sub-commlttee, and endorsed by the Research Committee. Provided that the Vice-Chancellor, if he deems it necessary, may also nominate the examiners from outside the panel.

(iii) The examiners are expected to send their reports in the prescribed form within 2 month from the date of the receipt of the dissertation.

(iv) Each examiner shall include in his|her report an overall assessment placing the dissertation in one of the following categories:

(a) Recommended for the award of the degree of Master of Philosophy: Commended|Highly commended.

(b) Revision required and resubmission recommended

(c) Rejected.

Each examiner shall enclose a report of 200 to 300 words indicating the standard attained in case (a), the nature of revision required in case (b) and the reasons for rejection in case (c).

(v) The Research Committee based on the reports of the examiners shall either accept the dissertation or reject it. The followling criteria shall be adopted for this purpose.

(a) If both the examiners recommend the award of the degree, the dissertation shall be accepted for the award. Any minor revision, modification etc. suggested by the examiner(s) shall be carried out before the award of the degree is approved.

(b) If both the examiners recommend rejection, the dissertation shall be rejected and the admission of the student cancelled.

(c) If one examiner recommends the award of the degree while the other recommends rejection, then the dissertation shall be referred to a third examiner to be nominated by the Vice-Chancellor vide Clause 17(ii). If two of the three examiners recommend the award, the dissertation shall be accepted. If two of the examiners recommend rejection, it shall be rejected and the admission of the student cancelled.

(d) If any examiner recommends revision of the thesis the student shall be permitted only once to revise and resubmit the dissertation within six months and the revised dissertation shall be referred to the same examiner who suggested revision for offering his final recommendation on the dissertation which should then by either recommended for the award or rejected.

VI. VICE-CHANCELLOR'S POWERS

20. Removal of Difficulties :—Notwithstanding anything contained in the above ordinance the Vice-Chancellor may take such measures as may be necessary in respect of candidates for M.Phil. who are admitted to the Univedsity.

[No. IG|ADMN(G)|ORD. 10|92]

D. C. PANT, Registrar (Acting)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 100.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के (वर्ग-I एवं वर्ग-II राजपत्रित पद) भर्ती नियम 1967; जहां तक कि वे सहायक अधीक्षक उद्यानविद के पदों से संबंधित है के अधिक्रमण में वे केवल इस प्रकार के अधिक्रमण से संबंधित निपटाए गए मामले अथवा छोड़ दिए गए मामलो के अतिरिक्त परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा संस्कृति विभाग के अधीनस्थ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षक उद्यानविद के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) नियमों का नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (सहायक अधीक्षण उद्यानविद) भर्ती नियम 1995 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमान :—इन पदो की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती का तरीका, आयु सीमा तथा अर्हताएं आदि: इस पद के लिए भर्ती का तरीका, आयुसीमा, अर्हताएं तथा इससे संबंधित अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं: वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

"अनुसूची"

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्षों को जोड़ने की सुविधा है।	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक अधीक्षण उद्यानविद	*3(1995) *विविधता के आधार पर कार्यभार पर आधारित।	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "बी" राजपत्रित अननुसचिवीय	2000-60-2300-द.रो-75-3200-100-3500/-रुपये	चयन	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है

क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका/क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाता है।	क्या विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं है	शून्य	पदोन्नति, जिसके ना होने पर प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण।	पदोन्नति : वरिष्ठ उद्यानविद् सहायक इस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित और कम से कम दसवीं कक्षा या समकक्ष अर्हता, वनस्पति विज्ञान अथवा कृषि विज्ञान में डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उद्यान-विज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ।*	समूह "ख" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए विचारार्थ): 1. अपर महानिदेशक---चेयरमैन 2. संयुक्त महानिदेशक---सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन)---सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

*केन्द्रीय सरकार के अधिकारी :

(क) (1) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारक, अथवा

(2) इस पद पर 1640-2900 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा अथवा समकक्ष; अथवा

(3) इस पद पर 1400-2300/2600 के वेतनमान में 8 वर्षों की नियमित सेवा अथवा समकक्ष ।

(ख) कम से कम उद्यान विज्ञान/कृषि विज्ञान (उद्यान विज्ञान सहित) में डिग्री प्राप्त तथा उद्यान विज्ञान के क्षेत्र में 2 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव। ऐसे विभागीय अधिकारी जो कि फीडर संवर्ग में है और जिनकी पदोन्नति सीधे होती है वह प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार के इस अथवा अन्य संगठन/विभाग में बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है सामान्य रूप से 3 (तीन) वर्षों से अधिक नहीं होगी। स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

[फा. सं. 5(1)/89-योजना]

ओ. पी. अग्रवाल, निदेशक (प्रशा.)

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

(Department of Culture)

New Delhi, the 13th February, 1995

G.S.R. 100.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Archaeological Survey of India (Class-I and Class II Gazetted posts) Recruitment Rules, 1967 in so far as they relate to the posts of Assistant Superintending Horticulturist except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Superintending Horticulturist in the Archaeological Survey of India, under the Department of Culture namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Archaeological Survey of India (Assistant Superintending Horticulaurist) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person.—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt ny person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay (Rs).
1	2	3	4
Assistant Superintending Horticulturist.	*3 (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General CentraliServices, Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500

Whether selection post or non-posts.	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits.
5	6	7	8
Selection	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment, whether by dirct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
Not applicable	Nil	Promotion failing which by Transfer on deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/-deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition ?	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion : Senior Horticultural Assistant with 3 years regular service in the Grade and Possessing. atleast intermediate or equivalent qualification with Botany or Agriculture or Diploma in Agriculture or Horticulture from a recognised Institute. Transfer on Deputation : Officers of the Central Government : (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis; or (ii) With 3 years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 1640-2900 or equivalent; OR (iii) With 8 years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and (b) Possessing atleast a Degree in Horticulture Agriculture (with Horticulture) and 2 years professional experience in the field of Horticulture. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible., for consideration for appointment by promotion.	Group 'B' DPC (for considering promotion) consisting of : 1. Additional Director General—Chairman 2. Joint Director Generl —Member 3. Director (Administration)—Member	Consultation with UPSC not necessary.

12	
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).	

[F. No. 5(1)/89-Plg.]
O.P. AGGARWAL, Dir. (Admn.)

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 101.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के (वर्ग-1 एवं वर्ग-2 राजपत्रित) भर्ती नियम, 1967, जहां तक कि वे अधीक्षण पुरातत्वविद् द्रविड़/संस्कृत/अरबी/फारसी अभिलेख के पदों से संबंधित हैं के अधिक्रमण में, केवल इस प्रकार के अधिक्रमण से संबंधित निपटाये गये मामले अथवा छोड़ दिये गये मामलों के अतिरिक्त परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा संस्कृति विभाग के अधीनस्थ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कुछ समूह "क" राजपत्रित पदों पर भर्ती की विधि को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) नियमों का नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (अधीक्षण पुरालेखविद) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—इन पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा तथा अर्हताएं आदि :—इस पद के लिये भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, तथा इससे संबंधित अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं :— वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है।
1	2	3	4	5
1 अधीक्षण पुरालेखविद् (फारसी और अरबी अभिलेख)	*1 (1995) *विविधता के आधार पर, कार्यभार के आधार पर	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	3000-100-3500-125-4500-रु.	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या अतिरिक्त वर्षों को जोड़ने की सुविधा है	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती का तरीका/क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।
6	7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालीन अनुबंध) सहित।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाता है	क्या विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए।
12	13	14
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालीन अनुबंध (1) केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य/स्वायत्त संगठन/मान्यता प्राप्त शोध संस्थान/विश्वविद्यालय के अधिकारी)।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

(क) (1) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित अथवा (2) 2200-4000 वेतनमान के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा अथवा समकक्ष, (3) 2000-3500 रु. वेतनमान के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा अथवा समकक्ष, अथवा

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव प्राप्त हो :—

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से, स्नातक डिग्री स्तर पर एक विशेष विषय के रूप में प्राचीन/मध्ययुगीन इतिहास सहित फारसी/अरबी भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से भारतीय इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें स्नातक स्तर पर फारसी/अरबी भाषा एक विशेष विषय के रूप में हो।

(2) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्व संस्थान/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान अथवा समकक्ष से पुरातत्व/पुरालेख में डिप्लोमा सहित प्राचीन/मध्ययुगीन अभिलेखों और/अथवा पाण्डुलिपियों के कूटवाचन में 5 वर्ष का अनुभव। अथवा

प्राचीन/मध्ययुगीन पुरालेखों और/अथवा पाण्डुलिपियों के कूटवाचन में 7 वर्ष का अनुभव।

2. विभागीय उप अधीक्षण पुरालेखविद् (अरबी/फारसी अभिलेख) इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा, अथवा उप अधीक्षक पुरालेखविद् (अरबी और फारसी अभिलेख) के पद पर 8 वर्ष को संयोजित नियमित सेवा और सहायक अधीक्षण पुरालेखविद् (अरबी और फारसी अभिलेख) बाह्य उम्मीदवारों के साथ विचार किये जायेंगे।

यदि इनका इस पद के लिये चयन हो जाता है तो यह पद पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जायेगा। फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जिनकी पदोन्नति सीधे होती है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के विचारार्थ हकदार नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार के इस अथवा अन्य संगठन/विभाग में बाह्य संवर्ग पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है सामान्य रूप से 3 (तीन) वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के लिये आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख तक अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1	2	3	4	5
2. अधीक्षण पुरालेखविद् (द्रविड़ अभिलेख)	*1 (1995) *विभिन्नता के आधार पर कार्यभार के आधार पर	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	3000-100-3500-व.रो.-125-4500	गैर-चयन

6	7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11
लागू नहीं होता	शून्य	पदोन्नति; जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालीन अनुबंध सहित)

12	13	14

पदोन्नति :

उप अधीक्षक पुरालेखविद् (द्रविड़ अभिलेख) इस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित; जिसके न होने पर उप अधीक्षण पुरालेखविद् (द्रविड़ अभिलेख) उप अधीक्षण पुरालेख (द्रविड़ अभिलेख) के क्रमशः 8 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा और सहायक अधीक्षण पुरालेख (द्रविड़ अभिलेख)।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :

केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्यों/स्वायत्त संगठनों/विश्वविद्यालय शोध संस्थानों के अधिकारी

(क) (i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित अथवा

(ii) इस पद पर 2200–4000 के वेतनमान में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा समकक्ष ; अथवा

(iii) इस पद पर 2000–3500 के वेतनमान में 8 वर्षों की नियमित सेवा सहित।

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त हों :—

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री स्तर पर प्राचीन इतिहास एक विशेष विषय सहित तमिल/तेलुगु/मलयालम/कन्नड़ में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से, स्नातक स्तर पर तमिल/तेलुगु/मलयालम/कन्नड़ एक विशेष विषय के साथ प्राचीन इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष।

(ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्व संस्थान/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान अथवा समकक्ष से पुरातत्व/पुरालेख में डिप्लोमा, प्राचीन मध्ययुगीय अभिलेखों और/अथवा पाण्डुलिपियों के कूटवाचन में 5 वर्षों के अनुभव सहित।

अथवा

प्राचीन/मध्ययुगीन अभिलेखों और/अथवा पाण्डुलिपियों के कूटवाचन में 7 वर्षों का अनुभव।

फीडर वर्गों में आने वाले विभागीय अधिकारी जिनकी पदोन्नति सीधी होनी है वह प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे।

समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति

1. चेयरमैन/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—चेयरमैन
2. अपर महानिदेशक—सदस्य
3. संयुक्त महानिदेशक—सदस्य
4. निदेशक (प्रशासन)—सदस्य
5. निदेशक (पुरालेख/पुरातत्व)—सदस्य

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर स्थानांतरण पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

12

इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार के इस अथवा अन्य संगठन/विभाग में बाह्य संवर्ग पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है सामान्य रूप से 3 (तीन) वर्षों से अधिक नहीं होगी प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख तक अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
3. अधीक्षण पुरालेखविद् (संस्कृत अभिलेख)	1* (1995) *विविधता पर आधारित, कार्यभार पर आधारित	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	3000-100-3500-द.रो.-125-4500/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/स्थानांतरण (अल्पकालीन अनुबंध सहित)

12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/स्थानांतरण (अल्पकालीन अनुबंध सहित)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श अनिवार्य है।

1. केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्यों/स्वायत्त संगठन/विश्वविद्यालयों/शोध संस्थानों के अधिकारी।

(क) (1) नियमित आधार पर समकक्ष पदधारित; अथवा

(2) इस पद पर, 2200-4000 के वेतनमान में 5 वर्षों की नियमित सेवा अथवा समकक्ष; अथवा

(3) इस पद पर 2000-3500 के वेतनमान में 8 वर्षों की नियमित सेवा अथवा समकक्ष; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो :--

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से स्नातक डिग्री स्तर पर एक विशेष विषय के रूप में प्राचीन इतिहास सहित संस्कृत/पाली/प्राकृत में स्नातकोत्तर डिग्री।

अथवा

(2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से स्नातक डिग्री स्तर पर संस्कृत/पाली/प्राकृत में से कोई एक विशेष विषय के साथ प्राचीन इतिहास में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्व संस्थान/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान अथवा समकक्ष से पुरातत्व/पुरालेख में डिप्लोमा, प्राचीन/मध्ययुगीन अभिलेखों और अथवा पाण्डुलिपियों के कूटवाचन में 5 वर्ष का अनुभव।

अथवा

प्राचीन/मध्ययुगीन अभिलेख और/अथवा पाण्डुलिपियों के कूटवाचन में 7 वर्षों का अनुभव।

(3) विभागीय उप अधीक्षक पुरालेखविद् (संस्कृत अभिलेख) इस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा जिसके न होने पर उप अधीक्षक पुरालेखविद् (संस्कृत अभिलेख) अधीक्षक पुरालेखविद् (संस्कृत अभिलेख) के बतौर 8 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा पर बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा। यदि

इस पद पर इनकर/इनकी नियुक्ति हो जाती है तो इस पद को पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा ।

फीडर वर्ग में आने वाले विभागीय अधिकारी जिनकी पदोन्नति सीधी होती है वह प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे ।
इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार के इस अथवा अन्य संगठन/विभाग में बाह्य संवर्ग पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है सामान्य रूप से 3 (तीन) वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

[फा.सं. 5 (4) 91-प्रयोजना]
ओ.पी. अग्रवाल, निदेशक (प्रशा.)

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

(Department of Culture)

New Delhi, the 14th February, 1995

G.S.R. 101.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Archaeological Survey of India (Class I and Class II Gazetted posts) Recruitment Rules, 1967 in so far as they relate to the post of Superintending Epigraphist for Dravidian/Sanskrit/Arabic/Persian Inscription except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to certain Group 'A' Gazetted posts in the Archaeological Survey of India, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Archaeological Survey of India Superintending Epigraphist Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualifications.—No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection posts	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Superintending Epigraphist (Persian and Arabic Inscription)	*1 (1995)	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3000-100-3500-125-4500.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload.

Whether age and Educational qualifications prescribedfor direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Nil	Promotio n/transfer on deputation (including short-term contract).	Promotion/Transfer on Deputation (including short term contract) : (1) Officers of the Central/ State Governments/Union territories/Autonomous organisations/Recognised Research Institute/ University. (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 5 years' regular service in postis in the scale of pay of Rs. 2200-4000 or equivalent; or (iii) with 8 years' regular service in posts in the scale of pay Rs. 2000-3500 or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience :— (i) Master's degree in Persian/ Arabic with Medieval Indian History as one of the subjects at Bachelor's degree level from a recognised University or equivalent. OR Master's Degree in Indian History with the Persian/ Arabic as one of the subjects at Bachelor's degree level from a recognised University or equivalent. (ii) Diploma in Archaeology/ Epigraphy from the Institute of Archaeology of Archaeological Survey of India/ recognised University/ Institute or Equivalent with 5 years' experience in deciphering ancient/medieval inscriptions and/or Manuscripts. OR 7 years' experience in deciphering the ancient/medieval inscriptions and /or manuscripts. 2. The departmental Deputy Superintending Epigraphist	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

12
(Arabic and Persian Inscriptions) with 5 years regular service in the Grade; or with 8 years combined regular service as Deputy Superintending Epigraphist (Arabic & Persian Inscription) and Assistant Superintending Epigraphist (Arabic & Persian Inscription) will be considered along with the outsiders. In case he/she is selected for appointment to the post, the Post shall be deemed to have been filled by promotion. The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Superintending Epigraphist (Dravidian Inscription)	*1 (1995)	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3000-100-3500-125-4500.	Non-Selection.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Nil	Promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract)	Promotion : Deputy Superintending Epigraphist (Dravidian Inscription) with 5 years regular service in the grade failing which Deputy Superintending Epigraphist (Dravidian Inscription) with	Group 'A' Departmental Promotion Committee. 1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman. 2. Additional Director	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an Officer on transfer on deputation/contract.

9	10	11	12	13	14
			8 years combined regular service as Deputy Superintending Epigraphist (Dravidian Inscription) and Assistant Superintending Epigraphist (Dravidian Inscription). Transfer on Deputation : Officers of the Central/State Governments/Union territories/Autonomous Organisations/University/Research Institutions: (a) (i) Holding Analogous posts on a regular basis; or (ii) with 5 years Regular Service in posts in the scale of pay of Rs. 2200-4000 or Equivalent, OR (iii) with 8 years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 2000-3500 or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience :— Essential: (i) Master's Degree in Tamil/Telugu/Malayalam/Kannada with Ancient Indian History as one of the subject at Bachelors Degree level from a Recognised University or Equivalent. OR Master's Degree in Ancient Indian History with Tamil/Telugu/Malayalam/Kannada as one of the subject at Bachelor's Degree level from a recognised University or Equivalent. (ii) Diploma in Archaeology/Epigraphy from the Institute of Archaeology or Archaeological Survey of India/Recognised University/Institute or Equivalent with 5 years experience in Deciphering Ancient Medieval Inscriptions and/or Manuscripts. OR 7 years experience in Decliphering the Ancient/Medival Inscriptions and/or Manuscripts. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	General—Member. 3. Joint Director General—Member 4. Director (Administration—Member.) 5. Director (Epigraphy/Archaeology—Member.	

9	10	11	12	13	14
			(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)		

1	2	4	5	5	6	7	8
3. Superintending Epigraphist (Sanskrit Inscription).	*1 (1975)	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3000-100-3500-125-4500.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload.

SCHEDULE

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	Promotion/Transfer on deputation (including short term contract)	Promotion/Transfer on deputation (Including short term contract) 1. Officers of the Central/ State Governments/Union territories/Autonomous organisations/Universities/ Research Institutions :— (a) (i) Holding Analogous posts on a regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or (iii) with 8 years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 2000-3500 or equivalent; and (b) possessing the following Educational qualifications and experience: (i) Master's Degree in Sanskrit/Pali/Prakrit with Ancient Indian History as one of the subject at Bachelor's Degree level from a recognised University or Equivalent. OR Master's Degree in Ancient Indian History with the Sanskrit/Pali/ Prakrit as one of the subjects at Bachelor's	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission, necessary.

9	10	11	12	13	14
			degree level from a recognised University, or Equivalent. (ii) Diploma in Archaeology/ Epigraphy from the Institute of Archaeology of Archaeological Survey of India/Recognised University/Institute or equivalent with 5 years experience in deciphering Ancient/Medieval Inscriptions and/or Manuscripts. OR 7 years experience in Deciphering the Ancient/ Medieval Inscription and/or Manuscripts. (II). The Departmental Deputy Superintending Epigraphist (Sanskrit Inscription) with 5 years regular service in the grade failing which with 8 years combined regular service as Deputy Supreintending Epigraphist (Sanskrit Inscription) and Assistant Superintending Epigraphist (Sanskrit Inscription) will also be considered along with the outsiders. In case He/She is selected for appointment to the post, the post shall be deemed to have been filled by Promotion. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications).		

[F. No. 5(4)/91-Plg.]
O.P. AGGARWAL, Director (Administration)

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(सिविल निर्माण एकक)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995

सा. का. नि. 102.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत सिविल निर्माण एकक में वित्त अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति नियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों को पर्यावरण और वन मंत्रालय, वित्त अधिकारी (सिविल निर्माण एकक) भर्ती नियमावली, 1991 कहा जायेगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और उनका वेतनमान—(1) उपरोक्त पद संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में निर्धारित किया गया है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और वर्गीकरण आदि —उपरोक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उपरोक्त अनुसूची के कालम (5) से (14) में निर्धारितानुसार होंगे।

4. निरर्हताएं—कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, वह इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्र सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार को स्वीय विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह इस नियम से किसी भी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति—यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है ऐसा करना, समीचीन है तो वह आदेश द्वारा कारणों को लिखित में दर्ज करके संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी वर्ग या श्रेणी या व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील दे सकती है।

6. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

सिविल निर्माण एकक, पर्यावरण और वन मंत्रालय में वित्त अधिकारी के लिए भर्ती नियम

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या प्रवरण या अप्रवरण पद है	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियमावली, 1972) के नियम 30 के तहत जोड़े गए वर्षों की सेवा का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
वित्त अधिकारी	*एक 1991 *कार्यभार के आधार पर	सामान्य केन्द्रीय सेवा (समूह "ब" राजपत्रित) गैर मंत्रालयी	2375-3200-व.रो. 100-3500	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य शैक्षिक अर्हताएं	क्या निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए लागू होंगे	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने वाले ग्रेड
8	9	10	11	12
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	(1) केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो 1640-2900 रुपए के वेतनमान में कनिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखाकार के पद पर हों या जिन्होंने समकक्ष ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। (2) किसी भी संगठित लेखा विभाग से लेखाकार/लेखा परीक्षा अधिकारी, अथवा (3) केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारी जो 2000-3500 रुपये अथवा समकक्ष, के वेतनमान के पद पर हों और जिन्होंने इस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान में लोकल और लेखा कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा समकक्ष और जिन्हें लोकल लेखा तथा बजट कार्य का अनुभव हो। (4) किसी भी संगठित लेखा विभाग में इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले एस.ए.एस. लेखाकार। प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष तथा अधिक से अधिक तीन वर्ष तक है।

क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, यदि हो तो उसका गठन	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जाना है
13	14
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना जरूरी नहीं है।

[सं० 18/7/90-सी सी यू/497]
सतीश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
(Civil Construction Unit)

New Delhi, the 16th February, 1995

G.S.R. 102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Finance Officer in the Ministry of Environment and Forests, Civil Construction Unit, namely :—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Ministry of Environment & Forests, Civil Construction Unit Finance Officer Recruitment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualification—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect of any class or categories of persons.

6. Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Civil Service Pension rules 1972	Age limit for direct recruits
1 2	3	4	5	6	6	7
Finance Officer	1* (1993) *Subject to variation dependent on work load.	General Cent al Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2375-75-3200 EB-100-3500	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any.	Method of rectt whether by direct recruitment or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation

In case of erectt. by promotion/deputation/-transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is the composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
(i) Office under the Central Government holding analogous posts on regular basis/ Junior Accounts officer/Accountant or equivalent in the pay scale of Rs. 1640-2900 or equivalent with five years regular service in the grade or (ii) Regular Accounts/Audit Officers from any of the organised Accounts Deptt. OR (iii) Officers of the Central Government holding posts in the pay scale of Rs. 2000-3500 or equivalent with two years regular service in the grade and who have undergone training in the cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possess experience in Cash Account's and Budget work.	Not applicable	Consultation with UPSC not necessary.

12				
(iv) Subordinate Accounts service accountants with five years regular service in the grade in any of the organised Accounts Deptt..				
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same organisation/Department shall not exceed three years)				

[No. 16/7/90-CCU/497]

SATISH KUMAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1994

सा.का.नि. 103—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण व अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू में दुग्ध शाला तकनीशियन (समूह 'ख' अराजपत्रित) के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण व अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टू (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 1990 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वही होगा जो इन नियमों के उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
दुग्ध शाला तकनीशियन	*1 (1994) *कार्यभार	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	1640-60-2600-द.रो.-75-2900 रु.	लागू नहीं होता	अधिकतम 30 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए	नहीं

3	6
के आधार पर परि-वर्तन किया जा सकता है ।	अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में, रहने वाले अभ्यर्थियों में (उनसे भिन्न जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला और और चम्बा जिले का पांगी सबडिवीजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
अनिवार्य : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिकी सहित विज्ञान में डिग्री अथवा समकक्ष 2. टेलीविजन कैमरा वीडियो उपकरण, टैलीविजन कंसोल/अन्य दृश्य श्रव्य उपकरणों के इस्तेमाल में 2 वर्ष का अनुभव । टिप्पण : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित अर्हता/अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिल की जा सकती है/हैं । यदि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है :	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले तथा अधिवर्षिता से पूर्व पुनः रोजगार पाने वाले सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए 2 वर्ष ।

8
वांछनीय : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीडियो संपादन में डिप्लोमा अथवा समकक्ष । 2. तमिल भाषा का ज्ञान

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए पुनः रोजगार जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध शामिल है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध सरकारी, स्वायत्त अथवा सांविधिक निकायों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी : क(i) जो नियमित आधार पर सवृंश पद पर कार्यरत हैं, ; अथवा (ii) जिन्होंने 1100-2300 रु./2600 रु. के वेतनमान वाले अथवा समकक्ष पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है। (ख) जो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण, सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए पुनः रोजगार : ऐसे जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों अथवा समकक्ष रैंक के सशस्त्र सेना कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि मे सेवा निवृत्ति होने वाले हैं अथवा रिजर्व में स्थानान्तरित होने वाले है और कालम 8 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं । यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख को वे सशस्त्र सेना से कार्यमुक्त होने वाले हैं, उसके पश्चात् उन्हें पुनः रोजगार की शर्तों पर रखा जा सकता है। यदि इस प्रकार के पात्र अधिकारी इस पद पर वास्तविक चयन से पहले ही सेवा निवृत्त हो जाते हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित हो जाते हैं तो उनकी नियुक्ति पुनः रोजगार के आधार पर होगी (सिविल पदों के संबंध में अधिवर्षितामय तक पुनः रोजगार)। प्रतिनियुक्ति की अवधि : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व इसी अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग/संगठन में किसी अन्य संवर्ग पद में धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, असाधारणतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध शामिल है) इस आवेदन पत्र को प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) 1. अपर महानिदेशक --अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (एल) --सदस्य 3. निदेशक (ए एंड एम) --सदस्य 4. डी डी ए --संबंधित सदस्य टिप्पण : सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्रवाई अनुमोदन हेतु आयोग को भेजा जाएगी । तथापि,	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

13	14

यदि आयोग इसे अनुमोदित नहीं करता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक फिर से आयोजित की जाएगी ।

[स. ए-12018/1/90-कुष्ठ (सी सी डी)]

एस.एस. ओहरी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 28th December, 1994

G.S.R. 103.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Audio Visual Technician in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu (Group 'B') Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualification—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall be affected reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-selection post
1	2	3	4	5
Audio Visual Technician	*1 (1994) *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial.	1640-60-2600-EB-75-2900	Not applicable

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational & other qualification reqd. for direct recruits
6	7	8
Not exceeding 30 years (Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lahshadweep).	No.	Essential: 1. Degree in Science with Physics as subject from a Recognised University or Equivalent. 2. 2 years experience in handling Television camera/ video equipments, Television console/other Audio-Visual equipments. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidate otherwise well-qualified. The Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidate belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If, at any stage of selection

13 14

यदि आयोग इसे अनुमोदित नहीं करता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक फिर से आयोजित की जाएगी ।

[सं. ए-12018/1/90-कुष्ठ (सी सी डी)]

एस.एस. ओहरी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 28th December, 1994

G.S.R. 103.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Audio Visual Technician in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu (Group 'B') Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualification—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall be affected reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-selection post
1	2	3	4	5
Audio Visual Technician	*1 (1994) *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial.	1640-60-2600-EB-75-2900	Not applicable

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational & other qualification reqd. for direct recruits
6	7	8
Not exceeding 30 years (Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lahshadweep).	No.	Essential: 1. Degree in Science with Physics as subject from a Recognised University or Equivalent. 2. 2 years experience in handling Television camera/video equipments, Television console/other Audio-Visual equipments. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidate otherwise well-qualified. The Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidate belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If, at any stage of selection

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 104:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में द्वारपाल के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (द्वारपाल) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
द्वारपाल	*2(दो) (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित अननुसचिवीय	825-15-900-द.रो.-20-1200 रुपये	लागू नहीं होता	नहीं	18—25 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बाबत 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अन्तिम तारीख होगी।

	7
	टिप्पण : रोजगार कार्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के नामों को प्रायोजित किये जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम के लिये कहा गया है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण (2) किसी ख्यातिप्राप्त पुस्तकालय में तीन वर्ष का अनुभव।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष

टिप्पण : 1—अर्हताएं अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।

2—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी-भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसा पुस्तकालय परिसर जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तम्भ 8 में सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अधिकाधिक शैक्षिक अर्हता है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से — (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं, या (2) जो 775—1025 रुपये या समतुल्य वेतनमान में पद धारण किये हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, या (3) जो 750-940 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पद धारण किये हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अधिकथित शैक्षिक और अन्य अर्हता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. उप-प्रधानाचार्य/अपर चिकित्सा अधीक्षक—अध्यक्ष 2. उप-चिकित्सा अधीक्षक—सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

[संख्या ए-12018/20/89-आर, आर./एम.ई. (यू.जी.) डैस्क]

आर. रामामूर्ति, डैस्क अधिकारी

(Department of Health)

New Delhi, the 17th February, 1995

G.S.R. 104.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Janitor in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Janitor) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualification, etc.—The method of recruitment to the said post age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or categories of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Janitor	2 *(Two) (1995) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 825-15-900-EB-20-1200	Not applicable.

Whether benefit of added years of service admisible under rule of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
6	7	8
No	18-25 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years, upto 45 years in respect of scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh district of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). Note 2.—In case the names of the candidates are sponsored by employment exchange the crucial date for determining of age limit in each case will be last date upto which employment exchange are asked to submit the names.	Essential : (i) 10th Class pass; (ii) 3 years experience in a Library of repute Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentages of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from wich promotion/deputation/transfer to be made.
9	10	11	12
Age: No Edueational Qualifications: Yes.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by transfer on deputation failing both by direct recruitment.	Promotion: Library Attendant with 3 years regular service possessing educational qualification laid down for direct recruits in Column 8. Transfer on deputation from amongst officials of the Central Government. (a) (i) holding analgous posts on regular basis; or (ii) holding post in the pay scale of Rs. 775-1025 or equivalent with two years regular service in the grade. (iii) holding posts in the pay scale of Rs. 850-940 or equivalent with three years regular srvice in the grade, and ; (b) Possessing educational and other qualifiation laid down in column 8 for direct recruits.

If, a DPC eixsts, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
13	14
DPC : 1. Vice Principal/Additional Medical Superintendent—Chairman. 2. Dy. Medical Superintendent—Member. 3. Chief Administrative Officer—Member.	Not applicable.

[No. A. 12018/20/89-RR/ME(UG)Desk]
R. RAMAMURTHY, Desk Officer

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1994

सा.का.नि. 105—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मीडिया कार्यपालक और सहायक निदेशक (जनसंपर्क) समूह "ख" भर्ती नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मीडिया कार्यपालक और सहायक निदेशक (जनसंपर्क) समूह "ख" भर्ती संशोधन नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मीडिया कार्यपालक और सहायक निदेशक (जन संपर्क) समूह "ख" भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में सहायक निदेशक (जन संपर्क) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) सहायक निदेशक (जन संपर्क)	1* (एक) (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित	2000-60-2300-ब.रो.-75-3200-100-3500 ब.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति अधिकारियों के लिये दो वर्ष	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 1640–2900 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, या (iii) जिन्होंने 1400–2300/2600 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित वैधिक अर्हताएं और अनुभव है :— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य, (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता या जन संचार में डिप्लोमा, (iii) पत्रकारिता, प्रचार/जन संपर्क कार्य में तीन वर्ष का अनुभव, (iv) डिग्री स्तर तक हिन्दी और अंग्रेजी का अध्ययन किया हो । ऐसे विभागीय उप-संपादक (1400-2600 रु. के वेतनमान में) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास ऊपर प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिये विहित वैधिक अर्हताएं और अनुभव है, के संबंध में भी प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के साथ चयन के लिये विचार किया जायेगा। यदि उसका चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होगा	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[संख्या ए-12018/3/91-प्रशासन-II]

के. आर. रंगनाथन, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 16th March, 1994.

G.S.R. 105.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend Media Executive and Assistant Director (Public Relations) Group 'B' Recruitment Rules, 1979 namely :—

1. (i) These rules may be called the Media Executive and Assistant Director (Public Relations) Group 'B' Amendment Rules 1994.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Media Executive and Assistant Director (Public Relations) Group 'B' Recruitment Rules, 1979, for serial number 2 relating to the post of Assistant Director (Public Relations) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Public Relations)	1* (One) *1994. (Subject to variation dependent on workload).	General Central, Service, Group 'B' Gazetted.	Rs. 2000-60-2300-E B-75-3200-100-3500.	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years the promotee officer	By promotion/tansfer on deputation.

11	12	13
Promotion/Transfer on deputation : Officers of the Central Government : (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years regular service in posts in the pay scale of Rs. 1640-2900/- or equivalent; or (iii) with 8 years regular service in posts in the pay scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and possessing the following educational qualifications and experience; 2. (i) Degree from a recognised University or equivalent (ii) Diploma in Journalism or Mass Communication from a recognised University/Institution. (iii) 3 years experience in Journalism, Publicity/Public Relations work. (iv) Must have studied Hindi and English upto Degree level. The Departmental Sub-Editor (pay scale of Rs. 1400-2600/-) with 8 years regular service in the grade and possessing the educational qualifications and experience prescribed for deputationists above shall also be considered for selection with deputationists. In case he is selected the post shall be deemed to have been filled by promotion. "The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion". Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding his appointment in the same or some other organisations/department of the Central Government shall similarily not exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on-deputation including short-term contract shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[No. A—12018/3/91—Admn. II]

K.R. RANGANATHAN, Assistant Director General (Admn.

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 106.—साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 के खंड (60) के उप-खंड (ग) के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए यथा लागू केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम दिल्ली परिवहन निगम (विनियमों का उल्लंघन) दंड नियम, 1994 होगा।

(2) ये, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य, दिल्ली सड़क परिवहन कानून (संशोधन) अधिनियम 1971 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 से है।

(ख) "विनियम" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 45 के तहत निगम द्वारा बनाए गए विनियमों से है।

(ग) "धारा" का तात्पर्य इस अधिनियम की किसी धारा से है।

(घ) अन्य अभिव्यक्तियों का तात्पर्य विनियमों में उनके लिए क्रमशः नियत किए गए अर्थ के अनुसार होगा।

3. दंड.—दिल्ली परिवहन निगम (यात्रियों तथा माल की ढुलाई) (विनियम, 1994 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर दंड स्वरूप एक सौ रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।

4. निरसन और व्यावृत्ति .—दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकरण (विनियमों का उल्लंघन) दंड नियम, 1954 को, इस प्रकार के निरसन से पहले इन नियमों के तहत की गई अथवा किए जाने से छोड़ दी गई कार्रवाई के सिवाय, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

[फा सं. आरटी-12020/30/93-टीएजी]

पी. के. दुबे, निदेशक (सड़क परिवहन)

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 21st February, 1995

G.S.R. 106.—In exercise of the powers conferred by Section 46 of Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), read with sub-clause (c) of clause (60) of Section 3 of the General Clauses Act, 1897 (X of 1897), as applicable to the National Capital Territory of Delhi, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Delhi Transport Corporation (Contravention of Regulations) Penalty Rules, 1994.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) the 'Act' means the Road Transport Corporations Act, 1950 read with the Delhi Road Transport Laws (Amendment) Act, 1971.

(b) 'Regulations' means regulations framed by the Corporation under Section 45 of the Act.

(c) 'Section' means a Section of the Act.

(d) the other expressions shall have the meanings respectively assigned to them in the Regulations.

3. Penalty :—Any person who commits a breach of any of the provisions of the Delhi Transport Corporation (Carriage of passengers and Goods) Regulations, 1994 shall be punished with fine, which may extend to one hundred rupees.

4. Repeal and Saving :—The Delhi Road Transport Authority (Contravention of Regulations) Penalty Rules, 1954 are hereby repealed, except in respect of things done or omitted to be done thereunder before such repeal.

[F. No. RT-12020/30/93-TAG.]

P. K. DUBEY, Director (Road Transport)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mava Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995